सत्यमेव जयते

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

सर्वेक्षण भूखंड संख्या 1733, 1734 और सर्वेक्षण भूखंड संख्या 1732 और 1735 के भाग में सम्मिलित समीपवर्ती भूमि सहित हंसेश्वरी और वासुदेव मंदिर, बांसबेरिया, जिला - हुगली, पश्चिम बंगाल के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for Hamsesvari and Vasudeva temples together with adjacent land comprised in survey plot Nos. 1733, 1734 and part of survey plot Nos. 1732 and 1735, Bansberia, District - Hooghly, West Bengal

सर्वेक्षण भूखंड संख्या 1733, 1734 और सर्वेक्षण भूखंड संख्या 1732 और 1735 के भाग में सम्मिलित समीपवर्ती भूमि सहित हंसेश्वरी और वासुदेव मंदिर, बांसबेरिया, जिला - हुगली, पश्चिम बंगाल के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for Hamsesvari and Vasudeva temples together with adjacent land comprised in survey plot Nos. 1733, 1734 and part of survey plot Nos. 1732 and 1735, Bansberia, District - Hooghly, West Bengal

विषय – सूची

	अध्याय 1 **प्रारंभिक**	
1.1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1
1.2	परिभाषाएं	2-3
	अध्याय 2 **प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की पृष्ठभूमि**	
2.1	अधिनियम की पृष्ठभूमि	4
2.2	धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध	4
2.3	आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां	4-5
	अध्याय 3 **संरक्षित संस्मारकों – सर्वेक्षण भूखंड संख्या 1733, 1734 और सर्वेक्षण भूखंड संख्या 1732 और 1735 के भाग में सम्मिलित समीपवर्ती भूमि सहित हंसेश्वरी और वासुदेव मंदिर, बांसबेरिया, जिला - हुगली, पश्चिम बंगाल का स्थान और अवस्थिति**	
3.1	संस्मारकों का स्थान और अवस्थिति	6-7
3.2	संस्मारकों की संरक्षित सीमा	7
	3.2.1 एएसआई रिकॉर्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना	7
3.3	संस्मारकों का इतिहास	7
3.4	संस्मारकों का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएँ, तत्व, सामग्री, आदि)	8
3.5	वर्तमान स्थिति	8
	3.5.1 संस्मारकों की स्थिति-स्थिति का आकलन	8
	3.5.2 प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या और कभी-कभी एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या	9
	अध्याय 4 **स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में मौजूदा ज़ोनिंग, यदि कोई हो**	
4.1	मौजूदा ज़ोनिंग	10
4.2	स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश	10
	अध्याय 5 **प्रथम अनुसूची एवं सर्वेक्षण योजना के अनुसार सूचना**	
5.1	संस्मारकों की सर्वेक्षण योजना	11
5.2	सर्वेक्षित आंकड़ो का विश्लेषण	11
	5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण	11

	5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण	11-12
	5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण	12-13
	5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ आदि	13
	5.2.5 भवनों की मौजूदा ऊँचाई	13
	5.2.6 राज्य संरक्षित संस्मारकों और सूचीबद्ध धरोहर भवन यदि उपलब्ध हों	14
	5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं	14
	5.2.8 संस्मारकों तक पहुंच	14
	5.2.9 अवसरंचनात्मक सेवाएं	14
	5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित ज़ोनिंग	14
अध्याय 6 संस्मारकों की वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व		
6.1	वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व	15
6.2	संस्मारकों की संवेदनशीलता	15-16
6.3	संरक्षित संस्मारकों या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता	16
6.4	पहचान किया जाने वाला भूमि उपयोग	16
6.5	संरक्षित संस्मारकों के अलावा अन्य पुरातात्विक धरोहर	16
6.6	सांस्कृतिक परिदृश्य	17
6.7	महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य	17
6.8	खुली जगह और निर्माण का उपयोग	17
6.9	पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ	17
6.10	संस्मारकों और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज	18
6.11	पारंपरिक वास्तुकला	18
6.12	स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा उपलब्ध विकास योजना	18
6.13	अनुमेय भवन संबंधी मापदंड	18
	6.13.1 मरम्मत और नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में)	18-19
	6.13.2 पुनर्निर्माण	19
	6.13.3 नया निर्माण	19-21
6.14	आगंतुक सुविधाएं और प्रसाधन	21
अध्याय 7 स्थल विशिष्ट सिफारिशें		
7.1	स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें	22-23
7.2	अन्य सिफ़ारिशें	23

CONTENTS		
CHAPTER 1 PRELIMINARY		
1.1	Short title, Extent and Commencements	24-25
1.2	Definitions	25-26
CHAPTER 2 Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended		
2.1	Background of the Act	27
2.2	Provision of the Act related to Heritage Bye-Laws	27
2.3	Rights and Responsibilities of Applicant	27-28
CHAPTER 3 Location and Setting of the Protected Monuments – Hamsesvari and Vasudeva temples together with adjacent land comprised in survey plot Nos. 1733, 1734 and part of survey plot Nos. 1732 and 1735, Bansberia, District- Hooghly, West Bengal		
3.1	Location and Setting of the Monuments	29-30
3.2	Protected Boundary of the Monuments	30
	3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records	30
3.3	History of the Monuments	30
3.4	Description of the Monuments (architectural features, elements, materials etc.)	31
3.5	Current Status	31
	3.5.1 Condition of the Monuments - condition assessment	31
	3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers	31
CHAPTER 4 Existing Zoning, if any, in the Local Area Development Plans		
4.1	Existing Zoning	32
4.2	Existing Guidelines of the Local Bodies	32
CHAPTER 5 Information as per First Schedule and Survey Plan		
5.1	Survey Plan of Monuments	33
5.2	Analysis of surveyed data	33
	5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details	33
	5.2.2 Description of built-up area	33-34
	5.2.3 Description of green/open spaces	34-35
	5.2.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc.	35
	5.2.5 Existing heights of the buildings	35

	5.2.6 State Protected Monuments and listed heritage building	35
	5.2.7 Public amenities	36
	5.2.8 Access to the Monuments	36
	5.2.9 Infrastructure services	36
	5.2.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies	36
CHAPTER 6 Architectural, Historical and Archaeological Value of the Monuments		
6.1	Architectural, Historical and Archaeological Value	37
6.2	Sensitivity of the Monuments	37-38
6.3	Visibility from the Protected Monuments or area and visibility from Regulated Area	38
6.4	Land-use to be identified	38
6.5	Archaeological heritage remains other than Protected Monuments	38
6.6	Cultural Landscapes	39
6.7	Significant natural landscapes	39
6.8	Usage of open space and constructions	39
6.9	Traditional, historical and cultural activities	39
6.10	Skyline as visible from the Monuments and from Regulated Areas	40
6.11	Traditional architecture	40
6.12	Developmental plan, as available, by the local authorities	40
6.13	Permissible Building related Parameters	40
	6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated Area)	40-41
	6.13.2 Reconstruction	41
	6.13.3 New Construction	41-43
6.14	Visitor facilities and amenities	43
CHAPTER 7 Site Specific Recommendations		
7.1	Site Specific Recommendations	44-45
7.2	Other Recommendations	45

Annexure		
अनुलग्नक-I Annexure-I	सर्वेक्षण भूखंड संख्या 1733, 1734 और सर्वेक्षण भूखंड संख्या 1732 और 1735 के भाग में सम्मिलित समीपवर्ती भूमि सहित हंसेश्वरी और वासुदेव मंदिर, बांसबेरिया, जिला - हुगली, पश्चिम बंगाल की सर्वेक्षण योजना Survey Plan of Hamsesvari and Vasudeva temples together with adjacent land(comprise in survey plot Nos. 1733, 1734 and part of survey plot Nos. 1732 and 1735), Bansberia, District - Hooghly, West Bengal	46-47
अनुलग्नक-II Annexure-II	संस्मारकों की अधिसूचना Notification of the Monuments	48-49
अनुलग्नक-III Annexure-III	अभिलेखीय मानचित्र Archival Map	50
अनुलग्नक-IV Annexure-IV	संस्मारक और उसके आसपास के क्षेत्रों के चित्र Images of the Monument and its surrounding areas	51-55

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम (22) के साथ पठित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संरक्षित संस्मारकों **"सर्वेक्षण भूखंड संख्या 1733, 1734 और सर्वेक्षण भूखंड संख्या 1732 और 1735 के भाग में सम्मिलित समीपवर्ती भूमि सहित हंसेश्वरी और वासुदेव मंदिर, बांसबेरिया, जिला - हुगली, पश्चिम बंगाल"** के लिए निम्नलिखित धरोहर उप-विधि जिन्हें रीच फाउंडेशन, चैन्नई के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य प्रणाली), नियम, 2011 के नियम 18 के उप नियम 2 द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतद्वारा 21.12.2021 को प्रकाशित किया गया था।

यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से पहले प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विधिवत विचार किया गया है।

इसलिए, अब प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, निम्नलिखित उप-विधि बनाता है, नामत:

"सर्वेक्षण भूखंड संख्या 1733, 1734 और सर्वेक्षण भूखंड संख्या 1732 और 1735 के भाग में सम्मिलित समीपवर्ती भूमि सहित हंसेश्वरी और वासुदेव मंदिर, बांसबेरिया, जिला - हुगली, पश्चिम बंगाल" के लिए धरोहर उप-विधि

अध्याय 1

प्रारंभिक

1.1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

i. इन उप-विधियों को संरक्षित संस्मारकों **"सर्वेक्षण भूखंड संख्या 1733, 1734 और सर्वेक्षण भूखंड संख्या 1732 और 1735 के भाग में सम्मिलित समीपवर्ती भूमि सहित हंसेश्वरी और वासुदेव मंदिर, बांसबेरिया, जिला - हुगली, पश्चिम बंगाल"** के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि, 2025 कहा जाएगा।

ii. ये संस्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगी।

iii. इन उप-विधियों के प्रावधान किसी भी अन्य उप-विधि में निहित असंगतता के बावजूद प्रभावी होंगे, चाहे इन उप-विधियों के प्रारंभ होने से पहले या बाद में बनाए गए हों, या किसी उप-विधि के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी दस्तावेज़ में हों। इन उप-विधियों को किसी अन्य उप-विधि के अनुरूप बनाने के लिए इनमें संशोधन करना अनिवार्य नहीं होगा।

iv. ये अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

1.2 परिभाषाएं:-

1. इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दिए अनुसार परिभाषाएं सुविधा की दृष्टि से यहां पुन: लिखी गई हैं:-

   (क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिला-लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं -

   i. किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,

   ii. किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,

   iii. किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

   iv. किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

   (ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

   i. उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

   ii. उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

   (ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, है;

   (घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद् से निम्नतर पद (श्रेणी) का नहीं है;

   (ड.) ''प्राधिकरण'' से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

   (च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त की श्रेणी से नीचे न हो या समतुल्य श्रेणी का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

   बशर्ते कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) ''निर्माण'' से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन:निर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;

(ज) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(झ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ञ) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

i. संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियॉ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा

ii. प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

(ट) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है:

(ठ) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ड) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ढ) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(त) "पुन: निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान हैं;

(थ) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुन: निर्माण नहीं होंगे।

2. इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का आशय वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय 2

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम,1958, यथा संशोधित, की पृष्ठभूमि

2.1 अधिनियम की पृष्ठभूमि:

धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित संस्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) **प्रतिषिद्ध क्षेत्र,** यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित संस्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 100 मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) **विनियमित क्षेत्र,** यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 200 मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून, 1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना का निर्माण, पुन:निर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.2 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधियों का विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम 22 में संरक्षित संस्मारकों के लिए उप-विधि बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप-विधि बनाने के लिए मापदंडों का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्य निष्पादन) नियम, 2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप-विधियों के अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

2.3 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और पुनरुद्धार अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन का ब्यौरा विनिर्दिष्ट है:

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून, 1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना का किसी प्रकार की मरम्मत अथवा नवीकरण का काम कराना चाहता है तो वह ऐसी मरम्मत और नवीकरण, जैसा भी स्थिति हो, को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ख) कोई व्यक्ति जो किसी विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना अथवा भूमि का स्वामी है और वह ऐसी भूमि पर ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा का कोई निर्माण अथवा पुन: निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, करना चाहता है तो वह निर्माण अथवा पुन: निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय 3

संरक्षित संस्मारकों – सर्वेक्षण भूखंड संख्या 1733, 1734 और सर्वेक्षण भूखंड संख्या 1732 और 1735 के भाग में सम्मिलित समीपवर्ती भूमि सहित हंसेश्वरी और वासुदेव मंदिर, बांसबेरिया, जिला - हुगली, पश्चिम बंगाल का स्थान और अवस्थिति

3.1 संस्मारकों का स्थान और अवस्थिति:

संरक्षित संस्मारकों एक मंदिर परिसर हैं जिसमें दो महत्वपूर्ण मंदिर शामिल हैं; 17वीं शताब्दी में निर्मित हंसेश्वरी मंदिर और 18वीं शताब्दी में निर्मित वासुदेव मंदिर। मंदिर परिसर राजा नृसिंहदेव के शाही महल परिसर का एक अभिन्न अंग है, जिसे स्थानीय रूप से बांसबेरिया राजबाड़ी कहा जाता है। यह शाही महल परिसर एक आयताकार भूखंड पर स्थित है जो गहरे पानी की खाई से घिरा हुआ है। वर्तमान में यह पश्चिम बंगाल के हुगली उप-मंडल और जिले के भीतर बांसबेरिया शहर में स्थित है। (**चित्र 1** देखें)

संरक्षित संस्मारकों के भौगोलिक निर्देशांक इस प्रकार हैं:

अक्षांश: 22º 57’ 51” उत्तर; **देशांतर:** 88º 23’ 51” पूर्व।

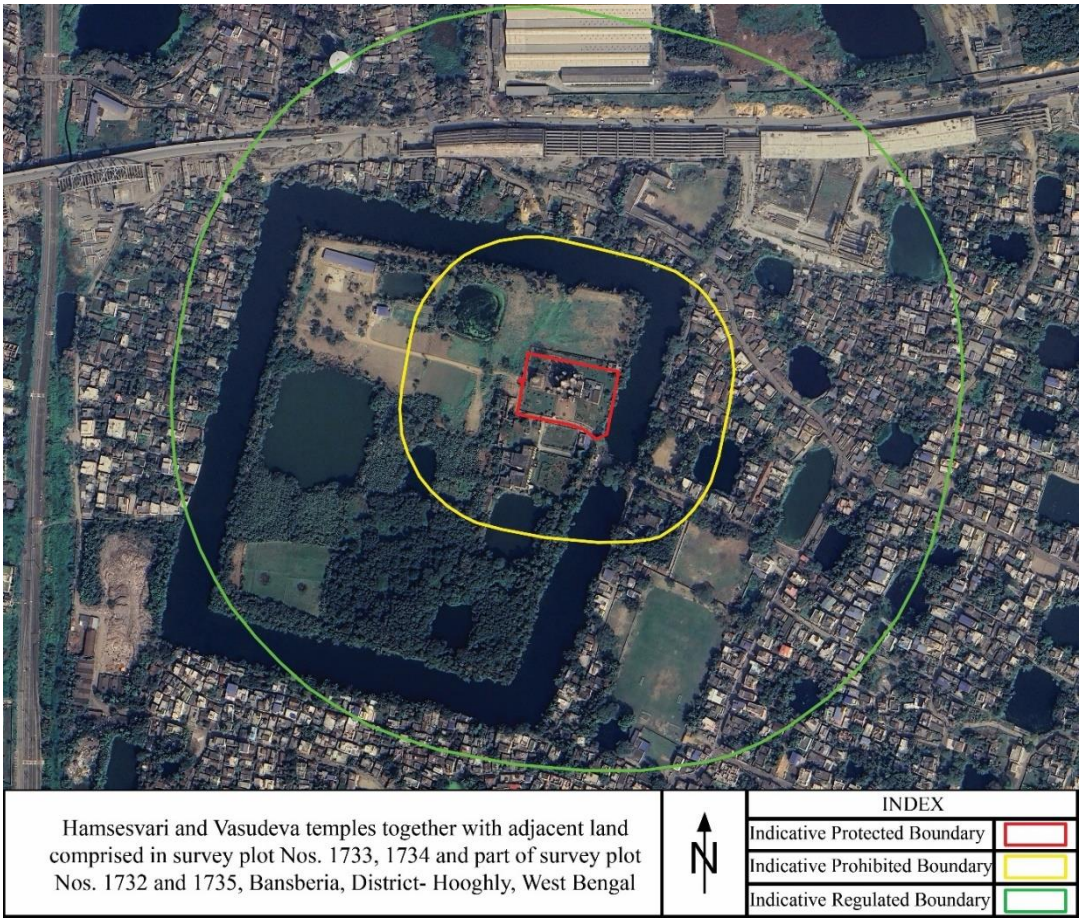

चित्र 1: सर्वेक्षण भूखंड संख्या 1733, 1734 और सर्वेक्षण भूखंड संख्या 1732 और 1735 के भाग में सम्मिलित समीपवर्ती भूमि सहित हंसेश्वरी और वासुदेव मंदिर, बांसबेरिया, जिला - हुगली, पश्चिम बंगाल का स्थान और अवस्थिति दर्शाता उपग्रह चित्र

बांसबेरिया शहर हुगली नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। संरक्षित संस्मारकों अपेक्षाकृत कम जनसंख्या घनत्व वाले अर्ध-शहरी क्षेत्र में स्थित हैं। प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रॉयल पैलेस परिसर (बांसबेरिया राजबाड़ी) के भीतर स्थित है, जो मुख्य रूप से ऐतिहासिक संरचनाओं और खुले हरेभरे स्थानों से बना है, जिसमें बाग, कृषि भूमि, पानी की खाई और तालाब शामिल हैं। संरक्षित संस्मारकों की अवस्थिति में पानी की खाई एक परिभाषित विशेषता है। रॉयल पैलेस परिसर (बांसबेरिया राजबाड़ी) से परे प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में आवासीय बस्तियां, कुछ शैक्षणिक संस्थान और गंगा जूट उद्योग के हिस्से शामिल हैं।

संरक्षित संस्मारकों सड़क, रेल और हवाई नेटवर्क से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। संरक्षित संस्मारक तक पहुंच रॉयल पैलेस परिसर (बांसबेरिया राजबाड़ी) के माध्यम से पूर्व में एक पुल के माध्यम से है, जो हंसेश्वरी मंदिर रोड़ को क्रेक्ट करती है । यह सड़क कल्याणी एक्सप्रेसवे से जुड़ती है, जो संरक्षित संस्मारक से लगभग 600 मीटर की दूरी पर है। इसके अतिरिक्त, हुगली नदी पर नौका सेवाएं कोलकाता और आस-पास के अन्य क्षेत्रों से सुविधाजनक पहुँच प्रदान करती हैं।

संरक्षित संस्मारकों के लिए निकटतम स्थानीय रेलवे स्टेशन हाजी मोहम्मद मोहसिन हॉल्ट है, जो संरक्षित संस्मारकों से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है, जबकि निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन है, जो लगभग 56 किलोमीटर दूर है। निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो संरक्षित संस्मारकों से लगभग 48 किलोमीटर दूर स्थित है।

3.2 संस्मारकों की संरक्षित सीमा:

संरक्षित संस्मारकों – सर्वेक्षण भूखंड संख्या 1733, 1734 और सर्वेक्षण भूखंड संख्या 1732 और 1735 के भाग में सम्मिलित समीपवर्ती भूमि सहित हंसेश्वरी और वासुदेव मंदिर, बांसबेरिया, जिला- हुगली, पश्चिम बंगाल की सीमा **अनुलग्नक-I** में देखी जा सकती है।

3.2.1 एएसआई रिकॉर्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:

संरक्षित संस्मारकों - सर्वेक्षण भूखंड संख्या 1733, 1734 और सर्वेक्षण भूखंड संख्या 1732 और 1735 के भाग में सम्मिलित समीपवर्ती भूमि सहित हंसेश्वरी और वासुदेव मंदिर, बांसबेरिया, जिला- हुगली, पश्चिम बंगाल की राजपत्र अधिसूचना **अनुलग्नक-II** में देखी जा सकती है।

3.3 संस्मारकों का इतिहास:

वासुदेव मंदिर का निर्माण राजा रामेश्वर दत्त ने 1679 ई. में करवाया था। यह बांकुरा जिले के बाहर स्थित 17वीं शताब्दी के दुर्लभ एकरत्न मंदिरों में से एक है।

हंसेश्वरी मंदिर का निर्माण बांसबेरिया के *जमींदार* राजा नृसिंहदेव राज ने 1799 ई. में करवाया था। 1802 ई. में उनकी मृत्यु के बाद, मंदिर अधूरा रह गया। उनकी विधवा रानी शंकरी ने 1814 ई. में मंदिर का निर्माण पूरा करवाया।

3.4 संस्मारकों का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएँ, तत्व, सामग्री, आदि):

संरक्षित संस्मारकों एक मंदिर परिसर के रूप में है जिसमें दो महत्वपूर्ण मंदिर हैं, अर्थात् हंसेश्वरी मंदिर और वासुदेव मंदिर। विवरण इस प्रकार है:

हंसेश्वरी मंदिर:

हंसेश्वरी मंदिर बंगाल की मंदिर वास्तुकला का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। इसका डिज़ाइन और अवधारणा अद्वितीय है, जो बंगाल मंदिर वास्तुकला के पारंपरिक रूपों से अलग है। मंदिर पारंपरिक बंगाल मंदिर डिजाइन के साथ उत्तरी भारतीय स्थापत्य शैली के समामेलन का प्रतीक है।

मंदिर का निर्माण मिश्रित चिनाई का उपयोग करके किया गया है, जिसमें बलुआ पत्थर, ईंट और लकड़ी शामिल है। बलुआ पत्थर वाराणसी के पास की खदानों से प्राप्त किया गया था और ऐसा माना जाता है कि वास्तुकार और राजमिस्त्री भी वाराणसी से थे। हालाँकि मंदिर *रत्न* - शैली का अनुसरण करता है, जिसकी विशेषता पाँच मंजिलों के घटते क्रम में मुख्य शिखर के चारों ओर व्यवस्थित तेरह शिखर (*रत्न*) हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि राजमिस्त्री स्थानीय स्थापत्य परंपराओं से पूरी तरह परिचित नहीं थे। नतीजतन, *रत्न* आकार में शंक्वाकार हैं, जो सामान्य लकीरों के बजाय कमल की पंखुड़ी के डिज़ाइन से सजे हैं।

मंदिर का डिज़ाइन गूढ़ तांत्रिक तत्वमीमांसा का प्रतीक है। गर्भगृह कक्ष में कमल पर बैठी देवी हंसेश्वरी की लकड़ी की मूर्ति स्थापित है। कमल का डंठल एक लेटी हुई आकृति की नाभि से निकलता है।

वासुदेव मंदिर:

वासुदेव मंदिर बांकुरा जिले के बाहर स्थित 17वीं शताब्दी के कुछ *एकरत्न* मंदिरों में से एक है। मंदिर में एक अष्टकोणीय शिखर के साथ एक कूबड़दार छत है जो सभी तरफ मेहराबदार खुले स्थान से सुसज्जित है। मंदिर के पूर्व और दक्षिण के अग्रभाग को एक तिहरे मेहराबदार ढांचे के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिसे जली हुई मिट्टी की मूर्तिकला की बेहतरीन परंपरा में निष्पादित टेराकोटा पट्टिकाओं द्वारा पूरित किया गया है। इन पट्टिकाओं में सामाजिक और युद्ध से संबंधित चित्रण, पोतो में सैनिक, कृष्ण के जीवन के प्रसंग, पंथ देवताओं, भिक्षुओं और याचकों, जंगली जानवरों तथा राम और रावण के बीच पौराणिक युद्ध के चित्रण सहित कई तरह के दृश्य दर्शाए गए हैं।

3.5 वर्तमान स्थिति:

3.5.1 संस्मारकों की स्थिति - स्थिति आकलन:

संरक्षित संस्मारकों और उसके संरक्षित क्षेत्र का रखरखाव और संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) का विशेष अधिकार क्षेत्र है। संरक्षित संस्मारक की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाले चित्र **अनुलग्नक-IV** में संलग्न हैं।

3.5.2 प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या और कभी-कभी एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या:

संरक्षित संस्मारकों पर प्रतिदिन औसतन 500 आगंतुक आते हैं। हालांकि, दिसंबर और जनवरी में कभी-कभार होने वाले समारोहों और त्यौहारों के दौरान आगंतुकों की संख्या बढ़ जाती है।

अध्याय 4

स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में मौजूदा ज़ोनिंग, यदि कोई हो

4.1 मौजूदा ज़ोनिंग:

i. स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अभी तक कोई भूमि-उपयोग योजना/मास्टर प्लान/ज़ोनिंग विनियम तैयार नहीं किया गया है। बांसबेरिया नगर पालिका एक शहरी स्थानीय निकाय है जो विकास की देखरेख करता है। प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र बांसबेरिया नगर पालिका की सीमाओं के भीतर स्थित हैं।

ii. बांसबेरिया के लिए किसी भी मौजूदा विनियम के तहत कोई ज़ोनिंग परिभाषित नहीं है।

4.2 स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश:

i. स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अभी तक कोई भूमि-उपयोग योजना/मास्टर प्लान/ज़ोनिंग विनियम तैयार नहीं किए गए हैं, इसलिए भूमि-उपयोग योजना/मास्टर प्लान/ज़ोनिंग विनियम तैयार करते समय, इस धरोहर उप-विधि में उल्लिखित प्रावधानों पर विचार करना और उन्हें शामिल करना अनिवार्य है।

ii. **"पश्चिम बंगाल नगरपालिका (भवन) नियम, 2007"** यथा संशोधित में निर्दिष्ट सभी विकास नियंत्रण मानदंड और भवन विनियम लागू हैं।

अध्याय 5

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख (रिकार्ड) में परिभाषित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की प्रथम अनुसूची नियम 21 (1) / सर्वेक्षण योजना के अनुसार सूचना

5.1 संस्मारकों की सर्वेक्षण योजना:

सर्वेक्षण भूखंड संख्या 1733, 1734 और सर्वेक्षण भूखंड संख्या 1732 और 1735 के भाग में सम्मिलित समीपवर्ती भूमि सहित हंसेश्वरी और वासुदेव मंदिर, बांसबेरिया, जिला - हुगली, पश्चिम बंगाल की सर्वेक्षण योजना **अनुलग्नक-I** में देखी जा सकती है।

5.2 सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण:

5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण:

i. प्रतिषिद्ध क्षेत्र लगभग 64,273 वर्ग मीटर है।

ii. विनियमित क्षेत्र लगभग 3,71,761 वर्ग मीटर है।

मुख्य विशेषताएं:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रॉयल पैलेस परिसर (बांसबेरिया राजबाड़ी) के भीतर स्थित है, जो मुख्य रूप से खुले और हरे-भरे स्थानों से बना है, जिसमें बाग, कृषि भूमि, पानी की खाई और तालाब शामिल हैं। बांसबेरिया राजबाड़ी परिसर के बाहर, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में आवासीय बस्तियाँ, कुछ शैक्षणिक संस्थान और गंगा जूट उद्योग के हिस्से शामिल हैं।

5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण:

i. **उत्तर:** प्रतिषिद्ध क्षेत्र में सीमित इमारतें हैं, जिसमें अधिकांश जगह खुले क्षेत्र और पानी की खाई है। उत्तर-पूर्वी तरफ पानी की खाई के पार कुछ इमारतें मौजूद हैं, जिनमें मुख्य रूप से कम ऊंचाई वाली, कम घनत्व वाली आवासीय बस्तियाँ, एक स्कूल भवन का एक हिस्सा और एक मंदिर शामिल हैं।

विनियमित क्षेत्र में मुख्य रूप से कम ऊंचाई वाली, कम घनत्व वाली आवासीय और मिश्रित उपयोग वाली बस्तियाँ शामिल हैं। टेराकोटा टाइलों से ढकी पक्की छतों वाली ये संरचनाएँ स्थानीय वास्तुकला के तत्वों को दर्शाती हैं जो इस क्षेत्र में प्रचलन में हैं। अन्य महत्वपूर्ण संरचनाओं में बांसबेरिया गंगा स्कूल और बैरकपुर-कल्याणी एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित गंगा जूट उद्योग के हिस्से शामिल हैं।

एक फ्लाईओवर जो कल्याणी एक्सप्रेसवे परियोजना का हिस्सा है, विनियमित क्षेत्र में उत्तर की ओर मौजूद है।

ii. **पूर्व:** प्रतिषिद्ध क्षेत्र में पानी की खाई मौजूद है। पानी की खाई के पार, हंसेश्वरी नहर रोड इसके समानांतर चलती है, जो आगे बांसबेरिया स्टेशन रोड और उत्तर में बैरकपुर-कल्याणी एक्सप्रेसवे से जुड़ती है। इस सड़क के किनारे, मुख्य रूप से कम ऊंचाई वाली, कम घनत्व वाली आवासीय बस्तियां हैं जिनमें टेराकोटा टाइलों से ढकी पक्की छतें हैं, जो स्थानीय वास्तुकला में बनी हैं।

विनियमित क्षेत्र में, निर्मित क्षेत्रों में मुख्य रूप से कम ऊंचाई वाली, कम घनत्व वाली आवासीय बस्तियां शामिल हैं। ये आवासीय बस्तियां छोटी-छोटी सड़कों और गलियों के किनारे स्थित हैं और क्षेत्र में मौजूद कई जल निकायों के चारों ओर गोलाकार पैटर्न में स्थानिक रूप से व्यवस्थित हैं। इमारतें मुख्य रूप से समकालीन हैं। महत्वपूर्ण संरचनाओं में टूरिस्ट लॉज और कुछ दुकानें शामिल हैं।

iii. **दक्षिण:** प्रतिषिद्ध क्षेत्र में, बांसबेरिया राजबाड़ी पैलेस भवन और उसके खंडहर मौजूद हैं, बीच-बीच में खुला मैदान भी है। दक्षिण-पूर्व में एक सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक और एक पुराना ऐतिहासिक द्वार है। पुराना ऐतिहासिक द्वार वास्तुकला की दृष्टि से समृद्ध है और बांसबेरिया राजबाड़ी महल परिसर का एक अभिन्न अंग है। पानी की खाई के ऊपर एक पुलिया शहर को हंसेश्वरी मंदिर रोड के माध्यम से महल परिसर से जोड़ती है। इस सड़क के किनारे, आवासीय बस्तियाँ, खुले पार्किंग क्षेत्र और कुछ दुकानें हैं।

विनियमित क्षेत्र में सीमित इमारतें हैं, जिनमें से अधिकांश जगह खुले क्षेत्रों और पानी की खाई से बनी है। दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी किनारों पर पानी की खाई के पार कुछ इमारतें मौजूद हैं, जिनमें मुख्य रूप से कम ऊँचाई वाली, कम घनत्व वाली आवासीय बस्तियाँ और कुछ छोटी दुकानें शामिल हैं।

iv. **पश्चिम:** प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में सीमित इमारतें हैं, जिनमें से अधिकांश जगह खुले क्षेत्र और तालाब हैं। हालाँकि, प्रतिषिद्ध क्षेत्र में, दक्षिण-पश्चिमी दिशा की ओर, बांसबेरिया राजबाड़ी महल परिसर के खंडहर मौजूद हैं।

विनियमित क्षेत्र में, पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी किनारों पर पानी की खाई के पार सीमित संख्या में इमारतें मौजूद हैं, जिनमें मुख्य रूप से कम ऊंचाई वाली, कम घनत्व वाली आवासीय बस्तियां शामिल हैं।

5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण:

उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में प्रतिषिद्ध क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, साथ ही दक्षिण और पश्चिम में विनियमित क्षेत्र, रॉयल पैलेस परिसर (बांसबेरिया राजबाड़ी) के भीतर स्थित है। यह परिसर एक आयताकार भूमि के टुकड़े पर है जो एक गहरे पानी की खाई से घिरा है। भूमि मुख्य रूप से खुले और हरे भरे स्थानों से बनी है, जिसमें बाग, कृषि

भूमि, पानी की खाई और तालाब शामिल हैं, जो मौजूदा निर्मित क्षेत्रों से कहीं अधिक हैं। यह अवस्थिति संरक्षित संस्मारक के आसपास एक प्राकृतिक और ऐतिहासिक परिदृश्य को संरक्षित करती है।

विनियमित क्षेत्र में, विशेष रूप से दक्षिण-पूर्वी दिशा में, खुले मैदानों का एक विशाल विस्तार है जो बहुक्रियाशील उद्देश्यों की पूर्ति करता है। विनियमित क्षेत्र के उत्तर-पूर्वी, पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी दिशाओं में, आवासीय बस्तियों के बीच तालाब विवेकपूर्ण तरीके से फैले हुए हैं। ये सामुदायिक तालाब दैनिक गतिविधियों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराते हैं और क्षेत्र की सूक्ष्म जलवायु में योगदान करते हैं।

5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ आदि:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में सड़कों और कलेक्टर सड़कों का एक नेटवर्क है जो संरक्षित संस्मारक और आस-पास के आवासीय क्षेत्रों तक वाहनों की पहुँच को सुविधाजनक बनाता है। हालाँकि, वर्तमान में पैदल चलने वालों के लिए कोई समर्पित फुटपाथ नहीं है। रॉयल पैलेस परिसर (बांसबेरिया राजबाड़ी) से सटी मुख्य सड़क, जिसे हंसेश्वरी मंदिर रोड के नाम से जाना जाता है, संरक्षित संस्मारकों के उत्तर में लगभग 600 मीटर की दूरी पर कल्याणी एक्सप्रेसवे से जुड़ती है, जो कोलकाता, कल्याणी और शहर के अन्य हिस्सों तक पहुँच प्रदान करती है।

5.2.5 भवनों की मौजूदा ऊंचाई:

i. **उत्तर:** प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में भवन की ऊंचाई की प्रमुख विशेषता भूतल (जी) संरचनाओं से लेकर भूतल प्लस एक मंजिल (जी+1) संरचनाओं तक होता है, सिवाय भूतल प्लस दो मंजिल (जी+2) संरचना के, विशेष रूप से बांसबेरिया गंगा हाई स्कूल।

ii. **पूर्व:** प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में, भवन की ऊंचाई की प्रमुख विशेषता भूतल (जी) संरचनाओं से लेकर भूतल प्लस एक मंजिल (जी+1) संरचनाओं तक होता है।

iii. **दक्षिण:** प्रतिषिद्ध क्षेत्र में, भवन की ऊंचाई की प्रमुख विशेषता भूतल (जी) संरचनाओं से लेकर भूतल प्लस एक मंजिल (जी+1) संरचनाओं तक होता है, जिसमें असाधारण रूप से बड़ी मंजिल-दर-मंजिल ऊंचाई (ऐतिहासिक इमारत) होती है। जबकि, विनियमित क्षेत्र में, भवन की ऊंचाई की प्रमुख विशेषता भूतल (जी) संरचनाओं से लेकर भूतल प्लस एक मंजिल (जी+1) संरचनाओं तक होता है।

iv. **पश्चिम:** प्रतिषिद्ध क्षेत्र में, इस दिशा में कोई निर्माण मौजूद नहीं है। हालांकि, दक्षिण-पश्चिमी दिशा की ओर बांसबेरिया राजबाड़ी पैलेस परिसर के खंडहर मौजूद हैं।

विनियमित क्षेत्र में, ग्राउंड प्लस वन (जी+1) संरचनाओं के कुछ अपवादों सहित इमारत की ऊंचाई की प्रमुख विशेषता ग्राउंड-लेवल (जी) संरचनाओं तक है। इस दिशा में एक ओवरहेड टैंक (ओएचटी) मौजूद है।

5.2.6 प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राज्य संरक्षित संस्मारकों और सूचीबद्ध धरोहर भवन, यदि उपलब्ध हों:

संरक्षित संस्मारकों के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अभी तक कोई भी राज्य संरक्षित संस्मारक या सूचीबद्ध विरासत भवन सूचित नहीं किया गया है।

5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में आवश्यक सार्वजनिक सुविधाएं जैसी जन- सुविधाऐं, पेयजल सुविधाएं, कूड़ेदान, स्मारिका दुकानें आदि उपलब्ध हैं।

5.2.8 संस्मारकों तक पहुंच:

संरक्षित संस्मारकों तक पहुँच रॉयल पैलेस परिसर (बांसबेरिया राजबाड़ी) के आंतरिक सड़क नेटवर्क के माध्यम से सुगम है। संरक्षित संस्मारक, हंसेश्वरी और वासुदेव मंदिर, बांसबेरिया शहर के मध्य में स्थित हैं और सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। रॉयल पैलेस परिसर (बांसबेरिया राजबाड़ी) तक पूर्व की ओर एक छोटे से पुल के माध्यम से पहुँचा जा सकता है, जो हंसेश्वरी मंदिर रोड से जुड़ता है।

5.2.9 अवसंरचनात्मक सेवाएं (जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी, सीवेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि):

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी, बिजली आपूर्ति, सीवेज प्रणाली और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी आवश्यक बुनियादी ढांचा सेवाएँ उपलब्ध हैं। संरक्षित संस्मारकों की ओर जाने वाली सड़क के किनारे स्थित मैदानों में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है।

5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित ज़ोनिंग:

बांसबेरिया नगर पालिका शहरी स्थानीय निकाय है और विकास के लिए जिम्मेदार है। प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र बांसबेरिया नगर पालिका की सीमा के भीतर स्थित हैं।

स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अभी तक कोई भूमि-उपयोग योजना/मास्टर प्लान/ज़ोनिंग विनियम तैयार नहीं किया गया है, इसलिए, भूमि-उपयोग योजना/मास्टर प्लान/ज़ोनिंग विनियम तैयार करते समय, इस धरोहर उप-विधि में उल्लिखित प्रावधानों पर विचार करना और उन्हें शामिल करना अनिवार्य है।

अध्याय 6

संस्मारकों की वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

6.1 वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व:

वास्तुकला महत्व:

संरक्षित संस्मारकों वासुदेव मंदिर और हंसेश्वरी मंदिर, महत्वपूर्ण वास्तुकला और कलात्मक मूल्य रखते हैं। वासुदेव मंदिर, 17वीं शताब्दी के मंदिरों की एक दुर्लभ एकरत्न शैली है, जो पौराणिक, सामाजिक और युद्ध के दृश्यों को दर्शाती जटिल टेराकोटा पट्टिकाओं से सुशोभित है, जो बंगाल की सबसे बेहतरीन जली हुई मिट्टी की कला परंपराओं में से एक है। बलुआ पत्थर, ईंट और लकड़ी से निर्मित हंसेश्वरी मंदिर में कमल की आकृति वाले तेरह शंक्वाकार शिखर हैं, जो तांत्रिक प्रतीकवाद को दर्शाते हैं। वाराणसी के कारीगरों से प्रभावित ये संरचनाएँ पारंपरिक बंगाली वास्तुकला से अलग हैं। साथ में, वे वास्तुकला की चमक, कलात्मक उत्कृष्टता, आध्यात्मिक दर्शन और क्षेत्रीय शिल्प कौशल के उल्लेखनीय प्रमाण के रूप में खड़े हैं।

ऐतिहासिक महत्व:

संरक्षित संस्मारकों अलग-अलग शताब्दियों के दो मंदिरों की उपस्थिति के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मूल्य रखते हैं: वासुदेव मंदिर (17वीं शताब्दी) और हंसेश्वरी मंदिर (18वीं शताब्दी)। ये मंदिर राजा रामेश्वर दत्त और उनके परिवार से जुड़े हैं, जिन्होंने दो मंदिरों के साथ-साथ शाही परिसर के निर्माण में योगदान दिया था। ये मंदिर उस अवधि के दौरान शाही परिवारों द्वारा मंदिर निर्माण का काम शुरू करने की परंपरा का उदाहरण हैं। उल्लेखनीय रूप से, यह परंपरा एक ही परिवार के भीतर पीढ़ियों तक जारी रही।

पुरातात्विक महत्व:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में जीर्ण-शीर्ण और परित्यक्त संरचनाओं की उपस्थिति, साथ ही प्रवेश द्वार पर दक्षिण-पूर्वी दिशा में पुराने ऐतिहासिक द्वार, रॉयल पैलेस परिसर (बांसबेरिया राजबाड़ी) की पूर्व भव्यता को दर्शाते हैं। उनकी स्थापत्य विशेषताएँ और रणनीतिक स्थान एक समृद्ध अतीत का संकेत देते हैं। ये मौजूदा संरचनाएँ संभावित रूप से व्यापक पुरातात्विक विरासत के ऊपर-ज़मीन संकेतक के रूप में काम करती हैं।

6.2 संस्मारकों की संवेदनशीलता (विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव, आदि):

i. संरक्षित संस्मारकों अनियोजित विकास के कारण असुरक्षित हैं जो समय के साथ इसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार हुआ है।

ii. जल खाई के पार होने वाली निर्माण गतिविधियाँ इसकी क्रमिक क्षति में योगदान दे रही हैं, जो संरक्षित संस्मारक के परिदृश्य में परिभाषित विशेषताओं में से एक को कमजोर करती हैं।

iii. कल्याणी एक्सप्रेसवे परियोजना के हिस्से के रूप में विनियमित क्षेत्र के भीतर उत्तर की ओर एक फ्लाईओवर के निर्माण ने हंसेश्वरी मंदिर के दृश्य को बाधित कर दिया है, जो पहले विनियमित क्षेत्र की उत्तरी दिशा से दिखाई देता था। इसके अलावा, कल्याणी एक्सप्रेसवे के दोनों ओर के क्षेत्र वाणिज्यिक विकास के लिए अतिसंवेदनशील हैं, जिससे दृश्य अखंडता का और नुकसान होता है।

iv. विनियमित क्षेत्र के भीतर उत्तर में स्थित गंगा जूट उद्योग जैसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों की उपस्थिति संरक्षित संस्मारक के समग्र ऐतिहासिक संदर्भ और अवस्थिति को प्रभावित करती है।

v. प्रतिषिद्ध क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में जीर्ण-शीर्ण और परित्यक्त संरचनाएँ हैं, जिनमें दक्षिण में बांसबेरिया राजबाड़ी पैलेस और प्रवेश द्वार पर दक्षिण-पूर्वी दिशा में स्थित पुराना ऐतिहासिक द्वार शामिल है। रॉयल पैलेस परिसर (बांसबेरिया राजबाड़ी) के ये अवशेष, संरक्षित संस्मारक के साथ, क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व और अखंडता में योगदान करते हैं। हालाँकि, चूँकि ये संरचनाएँ वर्तमान में संरक्षण में नहीं हैं और खराब स्थिति में हैं, इसलिए इनके संभावित नुकसान से संरक्षित संस्मारक की अखंडता और इसके समग्र ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को खतरा हो सकता है।

6.3 संरक्षित संस्मारकों या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

संरक्षित संस्मारकों से दृश्यता:

संरक्षित संस्मारकों विभिन्न दृश्य प्रस्तुत करते हैं। उत्तर, पश्चिम और पूर्व की ओर, पेड़ों से सजी पानी की खाई एक प्राकृतिक बफर बनाती है, जो एक शांत वातावरण में योगदान देती है। पानी की खाई के सामने की दिशा में आवासीय संरचनाएँ आंशिक रूप से दिखाई देती हैं। दक्षिण और दक्षिण-पूर्व की ओर, ऐतिहासिक संरचनाएँ और बांसबेरिया राजबाड़ी परिसर के खंडहर, आसपास के पेड़ों से घिरे अतीत की झलक पेश करते हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तर की ओर, विनियमित क्षेत्र में चल रहे फ्लाईओवर का निर्माण संरक्षित संस्मारकों से दिखाई देने वाली एक प्रमुख विशेषता है।

विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

हंसेश्वरी मंदिर, पाँच मंजिलों के घटते क्रम में मुख्य शिखर (शिखर) के चारों ओर व्यवस्थित तेरह शिखरों (रत्नों) के साथ एक ऊँची संरचना है, जिसके शिखरों (रत्नों) और शिखरों की झलक विनियमित क्षेत्र के भीतर सभी दिशाओं से आंशिक रूप से दिखाई देती है। हालाँकि, घने पत्ते वाले ऊँचे पेड़ पूरे आस-पास के क्षेत्र में बिखरे हुए हैं जो समग्र दृश्यता को कम करते हैं।

6.4 पहचान किया जाने वाला भूमि उपयोग:

स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अभी तक कोई मास्टर प्लान, विकास योजना या भूमि-उपयोग योजना तैयार नहीं की गई है, इसलिए निर्दिष्ट भूमि-उपयोग योजना उपलब्ध नहीं है।

हालाँकि, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में संरक्षित संस्मारक के आसपास का सामान्य निर्मित वातावरण मुख्य रूप से आवासीय है, जिसमें कुछ गेस्टहाउस, शैक्षणिक संस्थान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हैं। इसके अतिरिक्त, विनियमित क्षेत्र के एक हिस्से में औद्योगिक गतिविधियाँ, विशेष रूप से गंगा जूट उद्योग, होती हैं।

6.5 संरक्षित संस्मारकों के अलावा अन्य पुरातात्विक धरोहर अवशेष:

प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र में आज तक कोई ज्ञात या सूचित पुरातात्विक विरासत अवशेष नहीं हैं।

6.6 सांस्कृतिक परिदृश्य:

बांसबेरिया शहर का सांस्कृतिक परिदृश्य इसके प्राकृतिक वातावरण, विशेष रूप से हुगली नदी की निकटता के साथ एक गहरे संबंध को दर्शाता है। रॉयल पैलेस परिसर (बांसबेरिया राजबाड़ी), जिसमें संरक्षित संस्मारकों हंसेश्वरी और वासुदेव मंदिर शामिल हैं, प्राकृतिक परिदृश्य और धार्मिक अनिवार्यताओं दोनों के जवाब में विकसित हुआ है। इसकी वास्तुकला पारंपरिक बंगाली मंदिर शैलियों को अद्वितीय अनुकूलन के साथ मिश्रित करती है, जो धार्मिक निरंतरता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जबकि समय के साथ परिवेश बदल गया है, वे अपने ऐतिहासिक और आध्यात्मिक सार को बनाए रखते हैं, स्थानीय परंपराओं और सामुदायिक जीवन को आकार देते हैं। अनुष्ठान, प्रार्थना और सांप्रदायिक आयोजनों सहित पारंपरिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ साल भर मनाई जाती हैं। ये गतिविधियाँ सांस्कृतिक परिदृश्य को समृद्ध करती हैं, जिससे यह एक मील का पत्थर बन जाता है।

6.7 महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा बनते हैं और संस्मारकों को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने में भी मदद करते हैं:

बांसबेरिया राजबाड़ी परिसर में मुख्य रूप से खुले स्थान हैं, जैसे कि बाग, कृषि भूमि, पानी की खाई और तालाब, जो निर्मित क्षेत्रों से काफी बड़े हैं। यह अवस्थिति प्राकृतिक और ऐतिहासिक परिदृश्य को दर्शाती है जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा है।

6.8 खुली जगह और निर्माण का उपयोग:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में कई खुले स्थान हैं जो विभिन्न सामुदायिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। रॉयल पैलेस परिसर (बांसबेरिया राजबाड़ी) के भीतर खुले स्थान का उपयोग मुख्य रूप से कृषि और बागों के लिए किया जाता है, साथ ही बायो-कम्पोस्ट निर्माण और पशुपालन जैसी अतिरिक्त गतिविधियाँ भी की जाती हैं। विनियमित क्षेत्र के दक्षिण-पूर्वी भाग में, मनोरंजन, खेल गतिविधियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक बहुक्रियाशील खुले स्थान का उपयोग किया जाता है। दुर्गा पूजा जैसे त्यौहार, सामुदायिक समारोह और औपचारिक गतिविधियाँ की जाती हैं, इन कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार अस्थायी संरचनाएँ बनाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त, विनियमित क्षेत्र के उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी भाग में स्थित सामुदायिक तालाब निवासियों के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं, जो दैनिक गतिविधियों, सिंचाई और क्षेत्र के सूक्ष्म जलवायु में योगदान जैसे विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं।

6.9 पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ:

हंसेश्वरी मंदिर पूज्य देवताओं को समर्पित है और यह पूजा का एक सक्रिय स्थान बना हुआ है। देवताओं से जुड़े कई त्यौहार हर साल मनाए जाते हैं। प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में साल भर विविध पारंपरिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं, खास तौर पर दुर्गा पूजा और काली पूजा जैसे प्रमुख त्यौहारों के दौरान।

त्रिवेणी कुंभ महोत्सव, एक महत्वपूर्ण पारंपरिक आयोजन है, जो हुगली नदी के तट पर होता है। प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में उत्सवों की भरमार होती है, जो सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों से जीवंत हो जाता है।

6.10 संस्मारकों और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज:

संस्मारकों से दिखाई देने वाली क्षितिज:

उत्तरी और पूर्वी दिशाओं में संरक्षित संस्मारकों से दिखाई देने वाले क्षितिज में प्राकृतिक परिवेश है, जिसमें नहर रोड के किनारे मौजूद कुछ आवासीय संरचनाएँ हैं। इसके अतिरिक्त, बिजली ट्रांसमिशन टावर और मोबाइल टावर भी क्षितिज का हिस्सा हैं।

दक्षिणी और पश्चिमी दिशाओं में संरक्षित संस्मारकों से दिखाई देने वाले क्षितिज में बांसबेरिया राजबाड़ी की ऐतिहासिक संरचनाओं को शामिल करते हुए एक ऐतिहासिक चित्रमाला है, जिसमें पैलेस बिल्डिंग, पुराना ऐतिहासिक द्वार और खंडहर के साथ-साथ कुछ समकालीन संरचनाएँ शामिल हैं। परिधि के साथ पंक्तिबद्ध और चारों ओर पेड़ एक हरी-भरी पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं।

विनियमित क्षेत्र से दिखाई देने वाली क्षितिज:

विनियमित क्षेत्र के भीतर सभी दिशाओं से दिखाई देने वाले क्षितिज की विशेषता अलग-अलग ऊँचाई की पारंपरिक और समकालीन इमारतों की एक श्रृंखला है, जो पेड़ों से घिरी हुई है। एक ऊंची संरचना होने के कारण, हंसेश्वरी मंदिर के हिस्से भी क्षितिज में दिखाई देते हैं।

6.11 पारंपरिक वास्तुकला:

पैलेस बिल्डिंग, ऐतिहासिक द्वार और रॉयल पैलेस परिसर (बांसबेरिया राजबाड़ी) के अवशेष इस क्षेत्र की पारंपरिक वास्तुकला का उदाहरण है। प्रवेश द्वार पर दक्षिण-पूर्वी दिशा में पुराने ऐतिहासिक द्वार के साथ, प्रतिषिद्ध क्षेत्र की दक्षिण-पश्चिमी दिशा में जीर्ण और परित्यक्त संरचनाओं की उपस्थिति, रॉयल पैलेस परिसर (बांसबेरिया राजबाड़ी) की पूर्व भव्यता को दर्शाती है। इन संरचनाओं की स्थापत्य विशेषताएं और रणनीतिक स्थान उनके समृद्ध ऐतिहासिक महत्व को दृढ़ता से दर्शाते हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में सदियों से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जो आधुनिक विकास के प्रभाव को दर्शाते हैं। इन परिवर्तनों के बावजूद, कुछ आवासीय इमारतें अभी भी क्षेत्र की स्थानीय शैली को दर्शाती हैं।

6.12 स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध विकास योजना:

स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अभी तक कोई विकास योजना तैयार नहीं की गई है।

6.13 अनुमेय भवन संबंधी मापदंड:

6.13.1 मरम्मत और नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में):

आंतरिक परिवर्तन और अनुकूली पुनः उपयोग की सामान्य रूप से अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि, बाहरी परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तृत जाँच के अधीन होंगे। ऐसे परिवर्तन जिनमें रेट्रोफिटिंग/नवीनीकरण शामिल है, की अनुमति तब दी जा सकती है जब इमारत संरचनात्मक रूप से कमज़ोर या असुरक्षित हो या जब उस पर किसी प्राकृतिक आपदा का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो और नवीनीकरण अत्यंत आवश्यक हो। मूल इमारत शब्दावली और लेआउट के साथ-साथ निर्मित-खुले संबंधों

का पालन किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति के अधीन इमारतों की सामान्य मरम्मत और रखरखाव की अनुमति होगी।

भवन/संरचनाओं में मरम्मत और नवीनीकरण संरक्षित संस्मारक और उसके आस-पास के क्षेत्रों की धरोहर विशेषताओं के अनुरूप और उससे मेल खाता होना चाहिए। एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), लैमिनेट्स, टाइलिंग या ग्लेज़िंग जैसी नई क्लैडिंग सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों को करने में स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

6.13.2 पुनर्निर्माण:

पुनर्निर्माण को एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 2(त) में परिभाषित किया गया है तथा विनियमित क्षेत्र में पुनर्निर्माण की अनुमति एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ग(2) और एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 6(IV) और नियम 7 के अनुसार दी जाती है। किसी संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में स्थित किसी भी प्रकार के भवन या सरंचना, जो प्राकृतिक आपदाओं से ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हो गयी है, और जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है, के मामले में पुनर्निर्माण की एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 16 के अनुसार दी जाती है। प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त भवन अथवा संरचना के पुनर्निर्माण की अनुमति उसी सीमा तक दी जाएगी जितनी कि क्षति हुई है। पुनर्निर्माण के मामले में पुरानी इमारत के प्रतिस्थापन के रूप में नई संरचना या इमारत को पहले से मौजूद संरचना के अनुसार उसी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सीमाओं का पालन करना होगा। अग्रभाग में असंगत सामग्री जैसे ग्लेज़िंग, मेटल क्लैडिंग, एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), टाइल्स, लैमिनेट्स के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। नई संरचना संरक्षित संस्मारक के धरोहर क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र के साथ मेल खाती और उसके अनुरूप होनी चाहिए।

6.13.3 नया निर्माण:

6.13.3 क प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20क(4) के अनुसार, संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर किसी भी सार्वजनिक कार्य या जनता के लिए आवश्यक परियोजना या अन्य निर्माण सहित किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.13.3 ख विनियमित क्षेत्र:

स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा कोई भूमि-उपयोग योजना/मास्टर प्लान/ज़ोनिंग विनियम तैयार नहीं किए गए हैं।

इस धरोहर उप-विधि में निर्दिष्ट ऊँचाई और अन्य भवन-संबंधी मापदंड संरक्षित संस्मारकों के विनियमित क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माण के लिए लागू होंगे।

1. स्थल पर नए निर्माण की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचना आदि या छत पर कोई अन्य सेवाएं सहित):

i. नए निर्माण या मौजूदा इमारतों में परिवर्धन/परिवर्तन के लिए अधिकतम ऊंचाई सीमा **7.50 मीटर** से अधिक नहीं होगी (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचना आदि या छत पर कोई अन्य सेवाएं सहित)।

ii जहां तक संभव हो, बेसमेंट के निर्माण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

2. उपयोग:

i. चूंकि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा इस क्षेत्र के लिए कोई भूमि उपयोग निर्दिष्ट नहीं किया गया है, इसलिए वर्तमान भूमि उपयोग को मौजूदा के रूप में बनाए रखा जा सकता है।

ii. रॉयल पैलेस परिसर (बांसबेरिया राजबाड़ी) के भीतर ऐतिहासिक इमारतों को उनके फुटप्रिन्ट और अग्रभाग सहित उनकी विशेषता को यथासंभव बनाए रखना चाहिए। इन ऐतिहासिक संरचनाओं में किसी भी बाहरी परिवर्धन को, चाहे वह क्षैतिज हो या ऊर्ध्वाधर, हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

iii. खुले और हरे भरे स्थान, पानी की खाई, तालाब और जल निकायों को मौजूदा के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए।

3. अग्रभाग डिजाइन:

i. नए निर्माण का अग्रभाग डिजाइन न्यूनतम प्रकृति का होना चाहिए, ताकि यह संरक्षित संस्मारक पर हावी न हो।

ii. पारंपरिक निर्माण सामग्री के साथ स्थानीय वास्तुकला के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

iii. बाहरी अग्रभाग पर बाहरी सज्जा के लिए एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लेमिनेट (एचपीएल) और किसी भी अन्य सिंथेटिक सामग्री जैसी हस्तक्षेपकारी सामग्रियों के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

iv. रंगीन ग्लेज्ड अग्रभाग के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

4. छत का डिज़ाइन:

i. टेराकोटा छत टाइलों के साथ पारंपरिक ढलान वाली छत प्रणाली के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

ii. इमारतों की छत पर एल्युमीनियम, फाइबर ग्लास, पॉलीकार्बोनेट या इसी तरह की सामग्री का उपयोग करके अस्थायी प्रकृति की संरचनाओं का निर्माण हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

iii. सभी सेवाएँ जैसे कि बड़ी एयर कंडीशनिंग इकाइयाँ, छत पर पानी के भंडारण टैंक या छत पर रखे गए बड़े जनरेटर सेट को स्क्रीन दीवारों (ईंट/सीमेंट शीट, लौवर, जालियाँ या ऐसे अन्य डिज़ाइन तत्व) का उपयोग करके ढक दिया जाना चाहिए। इन सभी सेवाओं को अधिकतम स्वीकार्य ऊँचाई में शामिल किया जाना चाहिए।

5. निर्माण सामग्री:

i. संरक्षित संस्मारक के सभी सड़क अग्रभागों पर निर्माण सामग्री और रंग में एकरूपता बनाए रखी जानी चाहिए।

ii. बाहरी सजावट के लिए आधुनिक निर्माण सामग्री जैसे एल्युमीनियम क्लैडिंग, कांच की ईंटें और किसी भी अन्य सिंथेटिक टाइल या सामग्री का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

6. रंग:

बाहरी रंग संरक्षित संस्मारक के साथ सामंजस्य रखते हुए तटस्थ स्वर का होना चाहिए, जैसे कि बफ बलुआ पत्थर का रंग, सफेद, बेज और अन्य मिट्टी के रंग, जो संरक्षित संस्मारक और उसके आसपास के वातावरण के साथ तीव्र विरोधाभास पैदा न करें।

7. अन्य विनियम:

मेट्रो रेल सिस्टम (भूमिगत या एलिवेटेड), रेल या सड़क ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर, बहु-स्तरीय पार्किंग सुविधाएं, सार्वजनिक हित में संस्थागत इमारतें अथवा संस्थागत भवनों के इसी तरह के विकास तथा निर्माण या जो जनता के लिए आवश्यक हैं, जैसे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक बुनियादी ढांचे वाली परियोजनाओं या इसी तरह की विकास परियोजनाओं के निर्माण के प्रस्ताव एक विस्तृत विरासत प्रभाव आकलन (एचआईए) रिपोर्ट के अधीन होंगे। ऐसी परियोजनाओं पर तभी विचार किया जा सकता है जब यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो कि वे संरक्षित संस्मारक या उसके आस-पास के क्षेत्र के संरक्षण, सुरक्षा, रक्षा, दृश्य अखंडता या पहुंच पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

6.14 आगंतुक सुविधाएं और प्रसाधन:

जहां तक संभव हो, आगंतुकों की सुविधाओं और प्रसाधनों पर विचार किया जाना चाहिए।

अध्याय 7

स्थल विशिष्ट सिफारिशें

7.1 स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें:

i. बांसबेरिया राजबाड़ी परिसर के चारों ओर स्थित जल खाई संरक्षित संस्मारकों की अवस्थिति के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस विशेषता के महत्व को बनाए रखने के लिए, जल खाई को यथासंभव अधिकतम सीमा तक संरक्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जल खाई के समीप निर्माण गतिविधियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

ii. बांसबेरिया राजबाड़ी परिसर के हरे-भरे और खुले स्थानों में कृषि, बागवानी और खाद बनाने जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और संरक्षित संस्मारक की समग्र अवस्थिति को संरक्षित करते हुए पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए यथासंभव बनाए रखा जाना चाहिए।

iii. ऐतिहासिक और स्थापत्य रूप से महत्वपूर्ण संरचनाओं जैसे महलों, द्वारों और उनके अवशेषों/खंडहरों की उपस्थिति शाही परिसर की सीमा को इंगित करती है। संरक्षित संस्मारक के आसपास की ऐतिहासिक विशेषताओं को संरक्षित करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण जहाँ तक संभव हो, इन महत्वपूर्ण संरचनाओं की सूचीकरण और ग्रेडिंग कर सकता है।

iv. मौजूदा औद्योगिक प्रतिष्ठान (गंगा जूट उद्योग) को पर्यावरण और संरक्षित संस्मारक दोनों पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए शमन उपायों को लागू करना चाहिए।

v. यदि मौजूदा सड़कों को चौड़ा किया जाना है, तो बांसबेरिया राजबाड़ी के आसपास की जल खाई से दूर की दिशा में किया जाना चाहिए ताकि इसका संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

vi. बाढ़ संभावित क्षेत्र में आम जनता की सुरक्षा के लिए स्थानीय निकायों द्वारा उठाए गए किसी भी उपाय की अनुमति दी जा सकती है।

vii. प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होने की स्थिति में स्थानीय प्रशासन सार्वजनिक सुरक्षा और संरक्षित संस्मारक की अखंडता की रक्षा के लिए जहाँ तक संभव हो, एक अच्छी तरह से संरचित भीड़ प्रबंधन योजना को लागू करने पर विचार कर सकता है।

viii. संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के भीतर तालाबों और जल निकायों को संरक्षित किया जाना चाहिए।

ix. संरक्षित संस्मारक या इसके आसपास के क्षेत्रों में एलईडी या डिजिटल संकेत, प्लास्टिक फाइबर ग्लास, या किसी अन्य अत्यधिक परावर्तक सिंथेटिक सामग्री का उपयोग साइनेज के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

x. संरक्षित संस्मारक के पास, विशेष रूप से संरक्षित संस्मारक की दीवारों पर होर्डिंग्स, बिल बोर्ड और पोस्टर के रूप में किसी भी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

xi. विनियमित क्षेत्र के भीतर टेलीफोन एक्सचेंज, मोबाइल टावर, बिजली ट्रांसमिशन टावर, चिमनी और ओवरहेड पानी की टंकियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए और उन्हें विनियमित क्षेत्र से बाहर स्थापित करने पर विचार किया जा सकता है।

xii. वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन और कंपन के कारण संरक्षित संस्मारक पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए संरक्षित संस्मारक के आसपास के क्षेत्र में आवागमन के लिए पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

xiii. वर्षा जल संचयन आदि जैसी सर्वोत्तम प्रथाओं सहित हरित भवनों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

7.2 अन्य सिफारिशें:

i. जब भी मास्टर प्लान, क्षेत्रीय योजना या विकास योजना तैयार की जाए या उसमें संशोधन किया जाए, तो उसमें राष्ट्रीय महत्व के सभी संरक्षित संस्मारकों और उनके प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

ii. जहां तक संभव हो, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार प्रावधान किए जाने चाहिए।

iii. क्षेत्र को प्लास्टिक और पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

iv. सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिसरों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf पर देखे जा सकते हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended, read with Rule 22 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following Heritage Bye-Laws for the Protected Monuments **"Hamsesvari and Vasudeva temples together with adjacent land comprised in survey plot Nos. 1733, 1734 and part of survey plot Nos. 1732 and 1735, Bansberia, District - Hooghly, West Bengal"** prepared by the Competent Authority, in consultation with the REACH Foundation, Chennai, were published on 21.12.2021, as required by sub-rule 2 of Rule 18 of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

The objections/suggestions, received before the specified date have duly been considered by the National Monuments Authority in consultation with the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of the Section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended, the National Monuments Authority, hereby makes the following bye-laws, namely:

Heritage Bye-Laws for "Hamsesvari and Vasudeva temples together with adjacent land comprised in survey plot Nos. 1733, 1734 and part of survey plot Nos. 1732 and 1735, Bansberia, District - Hooghly, West Bengal"

CHAPTER 1

PRELIMINARY

1.1 Short title, Extent and Commencements:

(i) These bye-laws may be called the National Monuments Authority Heritage Bye-Laws, 2025 of the Protected Monuments **"Hamsesvari and Vasudeva temples together with adjacent land comprised in survey plot Nos. 1733, 1734 and part of survey plot Nos. 1732 and 1735, Bansberia, District - Hooghly, West Bengal"**.

(ii) They shall extend to the entire Prohibited and Regulated Area of the Protected Monuments.

(iii) The provisions of these bye-laws shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other bye-laws, whether made before or after the commencement of these bye-laws, or in any instrument having effect by virtue of any bye-laws. It shall not be obligatory to carry out amendments in these bye-laws to make them consistent with any other bye-laws.

(iv) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.2 Definitions:

1. In these bye-laws, unless the context otherwise requires, -

(a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place of interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes -

(i) the remains of an ancient monument,

(ii) the site of an ancient monument,

(iii) such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and

(iv) the means of access to, and convenient inspection of an ancient monument,

(b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes:

(i) such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and

(ii) the means of access to, and convenient inspection of the area,

(c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended,

(d) "Archaeological Officer" means an officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology,

(e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20F of the Act,

(f) "Competent Authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:

Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E,

(g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or, the construction and maintenance of works meant for providing supply or water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public,

(h) "Government" means The Government of India,

(i) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of a Protected Monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a Protected Monument or of securing convenient access thereto,

(j) "owner" includes:

(i) A joint owner invested with powers of management on behalf of himself andother joint owners and the successor-in-title of any such owner, and

(ii) Any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee,

(k) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(l) "Prohibited Area" means any area specified or declared to be a Prohibited Area under section 20A,

(m) "Protected Area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act,

(n) "Protected Monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act,

(o) "Regulated Area" means any area specified or declared to be a Regulated Area under section 20B,

(p) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits,

(q) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction,

2. The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act or the rules made there under.

CHAPTER 2

Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended

2.1 Background of the Act:

The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300 metres in all directions of the Protected Monument. The 300 metres area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area,** the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of 100 metres in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of 200 metres in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or miningoperation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16th June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of Director General (DG), Archaeological Survey of India (ASI) and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

2.2 Provision of the Act related to Heritage Bye-Laws:

Section 20E of the AMASR Act, 1958, as amended and Rule 22 of the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other function of the Competent Authority) Rules 2011, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Protected Monuments.Ibid Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. Rule 18 of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

2.3 Rights and Responsibilities of Applicant:

Section 20C of the AMASR Act, 1958, as amended, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re- construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

(a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th day of June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case maybe.

(b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case maybe, make an application to the Competent Authority for carrying out constructionor re-construction or repair or renovation as the case may be.

(c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER 3

Location and Setting of the Protected Monuments – Hamsesvari and Vasudeva temples together with adjacent land comprised in survey plot Nos. 1733, 1734 and part of survey plot Nos. 1732 and 1735, Bansberia, District- Hooghly, West Bengal

3.1 Location and Setting of the Monuments:

The Protected Monuments form a temple complex comprising two significant temples; the Hamsesvari Temple, built in the 17th century, and the Vasudeva Temple, built in the 18th century. The temple complex is an integral part of the Royal Palace complex of Raja Nrisinghadeb, locally referred to as Bansberia Rajbari. This Royal Palace complex occupies a rectangular plot surrounded by a deep-water moat. It is located in present-day Bansberia town, within the Sub-Division and District of Hooghly, West Bengal. **(**Refer to **Figure 1**)

The geographical coordinates of the Protected Monuments are as follows:

Latitude: 22º 57’ 51” N; **Longitude:** 88º 23’ 51” E.

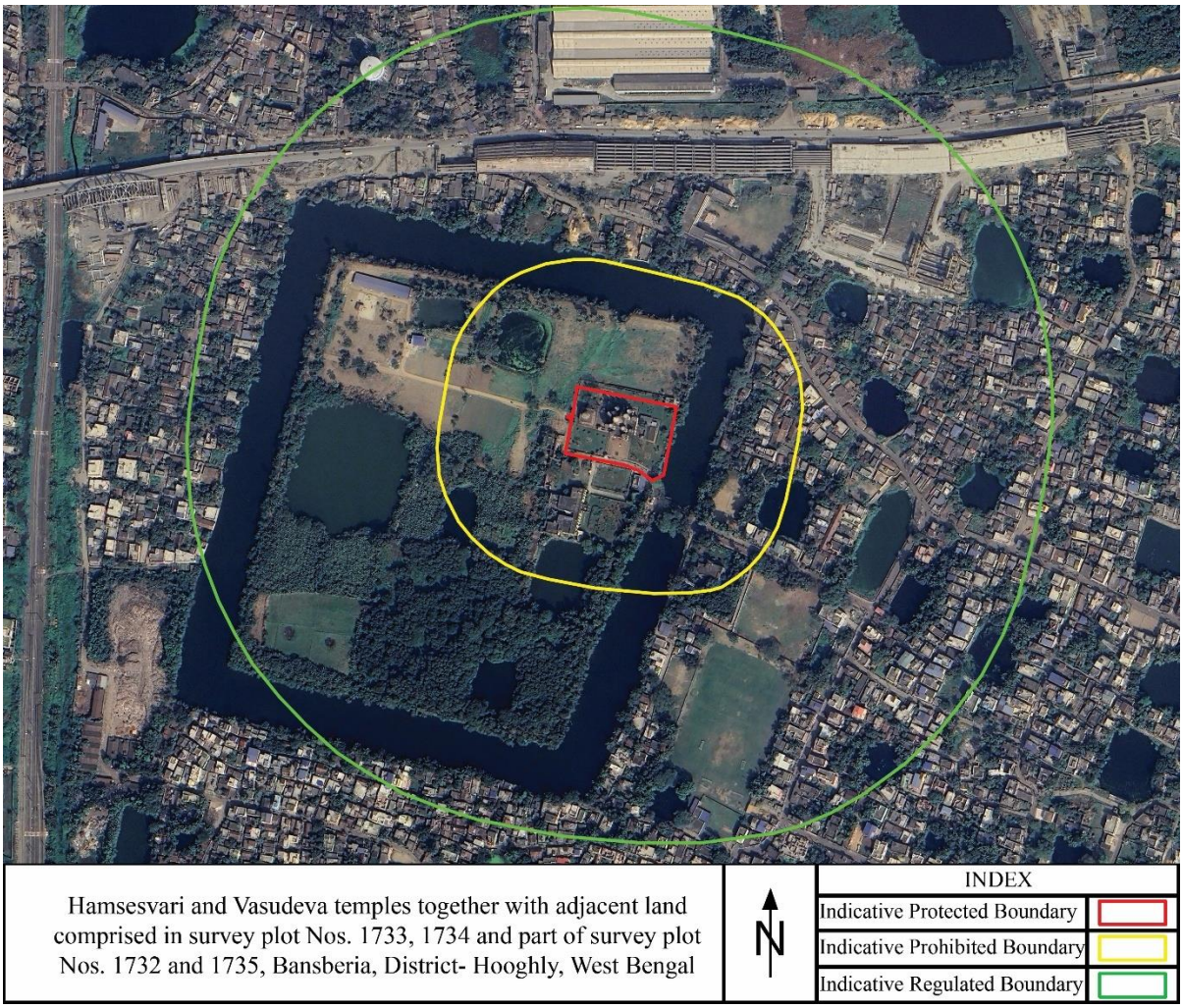

Figure 1: Satellite imagery showing the location and setting of Hamsesvari and Vasudeva temples together with adjacent land comprised in survey plot Nos. 1733, 1734 and part of survey plot Nos. 1732 and 1735, Bansberia, District - Hooghly, West Bengal

The Bansberia town is situated on the Western bank of the Hooghly River. The Protected Monuments are located in a semi-urban area with a relatively low population density. A significant portion of the Prohibited and Regulated Areas lies within the Royal Palace complex (Bansberia Rajbari), which is predominantly composed of historical structures and open green spaces, including orchards, agricultural land, water moats, and ponds. The water moat is a defining feature in the setting of the Protected Monuments. Beyond the Royal Palace complex, (Bansberia Rajbari) the Prohibited and Regulated Areas encompass residential settlements, a few educational institutions, and portions of the Ganges Jute Industry.

The Protected Monuments are well-connected by road, rail and air networks. Access to the Protected Monument is through the Royal Palace complex (Bansberia Rajbari) via a bridge to the East, which connects to Hamsesvari Temple Road. This road further links to the Kalyani Expressway, approximately 600 metres from the Protected Monument. Additionally, ferry services on the Hooghly River provide convenient access from Kolkata and other nearby areas.

The nearest local railway station to the Protected Monuments is Hazi Mohammed Mohsin Halt, approximately 1.5 kilometres from the Protected Monuments, whereas, the nearest major railway station is Howrah Junction, approximately 56 kilometres. The nearest International Airport is the Netaji Subhash Chandra Bose International Airport in Kolkata, located approximately 48 kilometres from the Protected Monuments.

3.2 Protected Boundary of the Monuments:

The boundary of the Protected Monuments – Hamsesvari and Vasudeva temples together with adjacent land comprised in survey plot Nos. 1733, 1734 and part of survey plot Nos. 1732 and 1735, Bansberia, District - Hooghly, West Bengal may be seen at **Annexure-I**.

3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

Gazette Notification of Protected Monuments – Hamsesvari and Vasudeva temples together with adjacent land comprised in survey plot Nos. 1733, 1734 and part of survey plot Nos. 1732 and 1735, Bansberia, District - Hooghly, West Bengal may be seen at **Annexure-II**.

3.3 History of the Monuments:

The Vasudeva Temple was constructed by the Raja Ramesvara Datta in 1679 CE. It is among the rare *ekaratna* temples of the 17th century located outside the Bankura district.

The Hamsesvari Temple was commissioned by Raja Nrisinghadeb Raj, *zamindar* of Bansberia in 1799 CE. After he died in 1802 CE, the temple remained incomplete. His widow, Rani Sankari, completed the construction of the temple in 1814 CE.

3.4 Description of the Monuments (architectural features, elements, materials etc.):

The Protected Monuments takes the form of a temple complex comprising two significant temples, namely the Hamsesvari Temple, and the Vasudeva Temple. The description is as follows:

Hamsesvari Temple:

The Hamsesvari Temple stands as a remarkable example of Bengal's temple architecture. Its design and concept are unique, deviating from the traditional forms of Bengal temple architecture. The temple embodies an amalgamation of Northern Indian architectural styles with the traditional Bengal temple design.

The temple is constructed using composite masonry, incorporating sandstone, bricks, and wood. The sandstone was sourced from quarries near Varanasi, and it is believed that the architect and masons were also from Varanasi. Although the temple follows the *Ratna*-style, characterized by thirteen pinnacles (*ratnas*) arranged around the main *sikhara* in a diminishing order of five storeys, it appears that the masons were not fully acquainted with local architectural traditions. Consequently, the *ratnas* are conical in shape, adorned with a lotus petal design rather than the usual ridges.

The temple's design is intended to symbolize esoteric tantric metaphysics. In the sanctum chamber, a wooden image of the goddess Hamsesvari is installed, seated on a lotus. The lotus stalk emerges from the navel of a reclining figure.

Vasudeva temple:

The Vasudeva Temple is one of the few *ekaratna* temples of the 17th century located outside the Bankura District. The temple features a humped roof with an octagonal pinnacle adorned with arched openings on all sides. The East and South façades of the temple are designed with a triple-arched structure, complemented by terracotta plaques executed in the finest tradition of burnt clay sculpture. These plaques depict a wide range of scenes, including social and war-related depictions, soldiers in ships, episodes from the life of Krishna, representations of cult deities, monks and mendicants, wild animals, and the legendary battle between Rama and Ravana.

3.5 Current Status:

3.5.1 Condition of the Monuments - condition assessment:

The maintenance and preservation of the Protected Monuments is the exclusive domain of the Archaeological Survey of India. The photographs depicting the present condition of the Protected Monuments are appended at **Annexure-IV**.

3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

The average footfall at the Protected Monuments is approximately 500 visitors per day. However, during occasional gatherings and festivals in December and January, the number of visitors increases.

CHAPTER 4

Existing Zoning, if any, in the Local Area Development Plans

4.1 Existing Zoning:

i. No land-use plan/master plan/ zoning regulations have been prepared as yet by the Local Authorities. Bansberia Municipality is an Urban Local Body overseeing the development. The Prohibited and Regulated Areas are located within the limits of Bansberia Municipality.

ii. There is no zoning defined under any of the existing regulations for Bansberia.

4.2 Existing Guidelines of the Local Bodies:

i. No land-use plan/ master plan/ zoning regulations have been prepared as yet by the Local Authorities, therefore, when formulating land-use plans/ master plans/ zoning regulations, it is imperative to consider and incorporate the provisions outlined in this Heritage Bye-Laws.

ii. All the development control norms and building regulations specified in **"The West Bengal Municipal (Building) Rules, 2007"** as amended are applicable.

CHAPTER 5

Information as per First Schedule, Rule 21(1) / Survey Plan of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records

5.1 Survey Plan of Monuments:

The Survey Plan of Hamsesvari and Vasudeva temples together with adjacent land comprised in survey plot Nos. 1733, 1734 and part of survey plot Nos. 1732 and 1735, Bansberia, District- Hooghly, West Bengal may be seen at **Annexure-I**.

5.2 Analysis of surveyed data:

5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details:

i. Prohibited Area is approximately 64,273 square metres.

ii. Regulated Area is approximately 3,71,761 square metres.

Salient Features:

A significant portion of the Prohibited and Regulated Areas lies within the Royal Palace complex (Bansberia Rajbari), which is predominantly composed of open and green spaces, including orchards, agricultural land, water moats, and ponds. Outside the Bansberia Rajbari complex, the Prohibited and Regulated Areas include residential settlements, a few educational institutions, and portions of the Ganges Jute Industry.

5.2.2 Description of built-up area:

i. **North:** The Prohibited Area has limited buildings, with most of the space consisting of open areas and a water moat. A few buildings are present across the water moat on the North-Eastern side, comprising primarily of low-rise, low-density residential settlements, a portion of a school building, and a temple.

The Regulated Areas, primarily consist of low-rise, low-density residential, and mixed-use settlements. These structures, featuring pitched roofs covered with terracotta tiles, reflect elements of vernacular architecture that remain in practice within the region. Other significant structures include the Bansberia Ganges School and the portions of a Ganges Jute Industry, located along the Barrackpore-Kalyani Expressway.

A flyover which is part of the Kalyani Expressway project exists towards the North in the Regulated Area.

ii. **East:** In the Prohibited Area, the water moat is present. Across the water moat, Hameswari Canal Road runs parallel to it, further connecting to Bansberia Station Road and the Barrackpore-Kalyani Expressway to the North. Along this road, there are primarily low-rise, low-density residential settlements featuring pitched roofs covered with terracotta tiles, which are constructed in the vernacular architecture.

In the Regulated Area, the built-up areas primarily consist of low-rise, low-density residential settlements. These residential settlements are located along sub-arterial roads and streets and are spatially arranged in circular patterns around the numerous water bodies present in the area. The buildings are predominantly contemporary. Significant structures include the Tourist Lodge and a few shops.

iii. **South:** In the Prohibited Area, the Bansberia Rajbari Palace building and its ruins are present, interspersed by open grounds. To the South-East, there is a public toilet block and an old historic gate. The old historic gate is architecturally rich and is an integral part of the Bansberia Rajbari Palace complex. A culvert over the water moat connects the town to the palace complex via Hameswari Temple Road. Along this road, there are residential settlements, open parking areas, and a few shops.

The Regulated Area has limited buildings, with most of the space consisting of open areas and a water moat. There are a few buildings present across the water moat on the Southern and South-Eastern sides, comprising primarily of low-rise, low-density residential settlements and a few small shops.

iv. **West:** The Prohibited and Regulated Area has limited buildings, with most of the space consisting of open areas and ponds. However, in the Prohibited Area, towards the South-Western direction, the ruins of the Bansberia Rajbari Palace complex are present.

In the Regulated Area, a limited number of buildings are present across the water moat on the Western and North-Western sides, comprising primarily of low-rise, low-density residential settlements.

5.2.3 Description of green/open spaces:

A significant portion of the Prohibited Area to the North, South, and West, as well as the Regulated Area to the South and West, lies within the Royal Palace complex (Bansberia Rajbari). This complex is on a rectangular piece of land encircled by a deep-water moat. The land is predominantly composed of open and green spaces, including orchards, agricultural land, water moats and ponds, which far exceed the existing built-up areas. This setting preserves a natural and historical landscape around the Protected Monument.

In the Regulated Area, particularly in the South-Eastern direction, there is a vast expanse of open grounds that serve multifunctional purposes. In the North-Eastern, Eastern, and South-Eastern directions of the Regulated Area, ponds are prudently interspersed among the residential settlements. These community ponds provide essential resources for daily activities and contribute to the area's microclimate.

5.2.4 Area covered under circulation - roads, footpaths etc.:

The Prohibited and Regulated Areas are served by a network of streets and collector roads that facilitate vehicular access to the Protected Monument and the nearby residential areas. However, there are currently no dedicated footpaths for pedestrians. The main road adjacent to the Royal Palace complex (Bansberia Rajbari), known as Hamsesvari Temple Road, connects to the Kalyani Expressway, approximately 600 metres to the North of the Protected Monuments, providing access to Kolkata, Kalyani, and other parts of the city.

5.2.5 Existing heights of the buildings:

i. **North:** In the Prohibited and Regulated Areas, the predominant character of the building height ranges from ground-level (G) structures to ground plus one-floor (G+1) structures, except for a ground plus two floors (G+2) structure, specifically the Bansberia Ganges High School.

ii. **East:** In the Prohibited and Regulated Areas, the predominant character of the building height ranges from ground-level (G) structures to ground plus one-floor (G+1) structures.

iii. **South:** In the Prohibited Area, the predominant character of the building height ranges from ground-level (G) structures to ground plus one-floor (G+1) structures, with exceptionally larger floor-to-floor heights (Historic Building). Whereas, in the Regulated Area, the predominant character of the building height ranges from ground-level (G) structures to ground plus one-floor (G+1) structures.

iv. **West:** In the Prohibited Area, no construction is present in this direction. However, towards the South-Western direction, the ruins of the Bansberia Rajbari Palace complex are present.

In the Regulated Area, the predominant character of the building height ranges from ground-level (G) structures, with a few exceptions of ground plus one (G+1) structures. There is an overhead tank (OHT) present in this direction.

5.2.6 State Protected Monuments and listed Heritage Buildings by local Authorities, if available, within the Prohibited/Regulated Area:

There are no State Protected Monuments or other listed Heritage Buildings by local Authorities reported as yet within the Prohibited and Regulated Areas of the Protected Monument.

5.2.7 Public Amenities:

The Prohibited and Regulated Areas are equipped with essential public amenities such as public convenience, drinking water facilities, dustbins, souvenir shops etc.

5.2.8 Access to the Monuments:

Access to the Protected Monuments is facilitated through the internal road network of the Royal Palace complex (Bansberia Rajbari). The Protected Monuments, the Hamsesvari and Vasudeva Temples, are centrally located within Bansberia town and are well-connected by road. The Royal Palace complex (Bansberia Rajbari) is accessible via a small bridge to the East, which links to Hamsesvari Temple Road.

5.2.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parking etc.):

The Prohibited and Regulated Areas have essential infrastructure services such as water supply, stormwater drainage, electricity supply, sewage system, and solid waste management. Parking facilities are available on the grounds located along the approach road leading to the Protected Monuments.

5.2.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies:

Bansberia Municipality is the Urban Local Body and is responsible for the development. The Prohibited and Regulated Areas are located within the limits of Bansberia Municipality.

No land-use plan/master plan/ zoning regulations have been prepared as yet by the Local Authorities, therefore, when formulating land-use plans/ master plans/ zoning regulations, it is imperative to consider and incorporate the provisions outlined in this Heritage Bye-Laws.

CHAPTER 6

Architectural, Historical and Archaeological Value of the Monuments

6.1 Architectural, Historical and Archaeological Value:

Architectural Value:

The Protected Monuments the Vasudeva Temple and the Hamsesvari Temple, possess significant architectural and artistic value. The Vasudeva Temple, a rare 17th century *ekaratna* typology of temples, is adorned with intricate terracotta plaques depicting mythological, social, and war scenes, exemplifying one of Bengal's finest burnt clay art traditions. The Hamsesvari Temple, built with sandstone, brick, and wood, features thirteen conical pinnacles with lotus motifs, reflecting *tantric* symbolism. Influenced by artisans from Varanasi, these structures deviate from traditional Bengali architecture. Together, they stand as remarkable testaments to architectural brilliance, artistic excellence, spiritual philosophy and regional craftsmanship.

Historical Value:

The Protected Monuments hold significant historical value due to the presence of two Temples from different centuries: the Vasudeva Temple (17th Century) and the Hamsesvari Temple (18th Century). The temples are associated with Raja Ramesvara Datta and his family who contributed to the construction of the Royal Complex along with the two temples. These temples exemplify the tradition of royal families commissioning temple construction during that period. Notably, this tradition continued for generations within the same family.

Archaeological Value:

The presence of dilapidated and abandoned structures within the South-Western portion of the Prohibited Area, along with the Old Historic Gate in the South-Eastern direction at the entrance, showcases the former grandeur of the Royal Palace Complex (Bansberia Rajbari). Their architectural features and strategic location suggest a rich past. These existing structures serve as above-ground indicators of a potentially extensive archaeological heritage.

6.2 Sensitivity of the Monuments (developmental pressure, urbanization, population Pressure, etc.):

i. The Protected Monuments are vulnerable due to unplanned development that has steadily occurred in its surrounding areas over time.

ii. The construction activities occurring across the water moat are contributing to its gradual depletion, which undermines one of the defining features in the setting of the Protected Monument.

iii. The construction of a flyover towards the North within the Regulated Area, as part of the Kalyani Expressway project, has obstructed the view of the Hamsesvari Temple, which was previously visible from the Northern direction of the Regulated Area. In addition, the areas along both sides of the Kalyani

Expressway are susceptible to wayside commercial development, leading to a further loss of visual integrity.

iv. The presence of industrial establishments, such as the Ganges Jute Industry located to the North within the Regulated Area, affects the overall historical context and setting of the Protected Monument.

v. The South-Western portion of the Prohibited Area contains dilapidated and abandoned structures, including the Bansberia Rajbari Palace to the South and the Old Historic Gate located in the South-Eastern direction at the entrance. These remnants of the Royal Palace Complex (Bansberia Rajbari), along with the Protected Monument, contribute to the area's historical significance and integrity. However, as these structures are not currently under protection and are in poor condition, their potential loss could compromise the integrity of the Protected Monument and its holistic historical perspective.

6.3 Visibility from the Protected Monuments or Area and visibility from Regulated Area:

Visibility from the Protected Monuments:

The Protected Monuments offers varied views. To the North, West, and East, tree-lined water moat creates a natural buffer, contributing to a serene setting. The residential structures on the opposite side of the water moat are partially visible. To the South and South-East, historical structures and the ruins of the Bansberia Rajbari complex offer glimpses into the past, framed by the surrounding trees. Additionally, to the North, the ongoing flyover construction in the Regulated Area is a prominent feature visible from the Protected Monuments.

Visibility from the Regulated Area:

The Hamsesvari Temple, being a taller structure with thirteen pinnacles (*ratnas*) arranged around the main *shikhara* (spire) in diminishing order of five stories, has glimpses of its pinnacles (*ratnas*) and *shikhara* (spire) partially visible from all cardinal directions within the Regulated Area. However, tall trees with dense foliage are scattered throughout the surrounding area which minimize the overall visibility.

6.4 Land-use to be identified:

No Master Plan, Development Plan, or Land-Use Plan has been prepared by the Local Authorities as yet, the designated Land-Use Plan is not available.

However, the general built environment surrounding the Protected Monument in the Prohibited and Regulated Area is primarily residential, with a few guesthouses, educational institutions, and commercial establishments. Additionally, a portion of the Regulated Area hosts industrial activities, specifically the Ganges Jute Industry.

6.5 Archaeological heritage remains other than the Protected Monuments:

There are no known or reported archaeological heritage remains in the Prohibited and Regulated Area to date.

6.6 Cultural Landscapes:

The cultural landscape of Bansberia town reflects a deep connection with its natural environment, particularly the proximity to the Hooghly River. The Royal Palace complex (Bansberia Rajbari), which encompasses the Protected Monuments Hamsesvari and Vasudeva Temples has evolved in response to both natural settings and religious imperatives. Its architecture blends traditional Bengali temple styles with unique adaptations, reflecting a commitment to religious continuity. While the surroundings have transformed over time, they retain their historical and spiritual essence, shaping local traditions and community life. Traditional and cultural activities, including rituals, prayers, and communal events, are celebrated year-round. These activities enrich the cultural landscape, making it a landmark.

6.7 Significant natural landscapes that forms part of cultural landscape and also helps in protecting Monuments from environmental pollution:

The Bansberia Rajbari complex primarily consists of open spaces, such as orchards, agricultural land, water moats and ponds, which significantly outweigh the built-up areas. This setting depicts the natural and historical landscape that forms part of the cultural landscape.

6.8 Usage of open space and constructions:

The Prohibited and Regulated Areas have various open spaces that serve diverse community needs. The open space within the Royal Palace Complex (Bansberia Rajbari) is primarily used for agriculture and orchards, with additional activities such as bio-compost manufacturing and animal farming. In the South-Eastern part of the Regulated Area, a multifunctional open space is used for recreation, sporting activities, and cultural events. Festivals like Durga Puja, community gatherings, and ceremonial activities are performed, with temporary structures erected as needed. Additionally, community ponds located in the Northern, Eastern, and Southern part of the Regulated Area provide essential resources for residents, serving various purposes such as daily activities, irrigation, and contributing to the area's microclimate.

6.9 Traditional, historical and cultural activities:

The Hamsesvari Temple is dedicated to revered deities and continues to be an active place of worship. Several festivals associated with the deities are celebrated annually. The Prohibited and Regulated Areas host diverse traditional and cultural activities throughout the year, particularly during major festivals such as Durga Puja and Kali Puja.

The Tribeni Kumbho Mahotsav, a significant traditional event, takes place on the banks of the Hooghly River. The Prohibited and Regulated Areas experience the spillover of festivities, becoming vibrant with cultural and religious activities.

6.10 Skyline, as visible from the Monuments and from Regulated Areas:

Skyline as visible from the Monuments:

The skyline visible from the Protected Monuments to the Northern and Eastern directions features a natural setting, interspersed with a few residential structures present along Canal Road. Additionally, electricity transmission towers and mobile towers are also part of the skyline.

The skyline visible from the Protected Monuments to the Southern and Western directions features a historic panorama encompassing Bansberia Rajbari's historic structures, including the Palace Building, Old Historic Gate and ruins along with a few contemporary structures. The trees lined along the perimeter and scattered throughout provides a lush green backdrop.

Skyline as visible from Regulated Area:

The skyline visible from all cardinal directions within the Regulated Area is characterized by a series of traditional and contemporary buildings of varying heights, interspersed with trees. Being a taller structure, the portions of the Hamsesvari Temple, are also visible in the skyline.

6.11 Traditional Architecture:

The Palace Building, along with the historic gate and remnants of the Royal Palace complex (Bansberia Rajbari), exemplifies traditional architecture of the region. The presence of dilapidated and abandoned structures in the South-Western direction of the Prohibited Area, along with the old historic gate in the South-Eastern direction at the entrance, reflects the former grandeur of the Royal Palace complex (Bansberia Rajbari). The architectural features and strategic location of these structures strongly suggest their rich historical significance.

Additionally, the Prohibited and Regulated Areas have undergone significant transformations over the centuries, reflecting the influence of modern development. Despite these changes, a few residential buildings still exhibit the region's vernacular style, characterized by pitched roofs with terracotta tiles. However, development pressures have resulted in the majority of structures adopting contemporary designs.

6.12 Developmental plan, as available, by the local authorities:

No Development Plan has been prepared by the Local Authorities as yet.

6.13 Permissible Building related Parameters:

6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated Area):

Internal changes and adaptive reuse may be generally permitted. However, external changes shall be subject to detailed scrutiny by the Competent Authority. Such changes which include retrofitting/renovation may be permitted when the building is structurally weak or unsafe or when it has been adversely impacted by any natural calamity and renovation is absolutely necessary. Original building vocabulary and layout along with built-open

relationships are to be adhered to. General repair and upkeep of buildings will be permissible, subject to prior permission from the Competent Authority.

The repair and renovation in buildings/structures should be sympathetic and congruous with the heritage character of the Protected Monument and its surrounding areas. New cladding materials like Aluminium Composite Panels (ACP), High-Pressure Laminates (HPL), laminates, tiling, or glazing are to be discouraged as far as feasible. The use of locally available building materials should be encouraged in carrying out repair and renovation works.

6.13.2 Reconstruction:

Reconstruction is defined in Section 2(k) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended. Permission for reconstruction in Regulated Area is accorded as per Section 20 C (2) of the AMASR Act, 1958, as amended, and Rule 6 (IV) and Rule 7 AMASR (Framing of heritage Bye-laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. In case of any type of building or structure located in the Prohibited or Regulated Area of the Protected Monument or Protected Area, collapsed or damaged and found beyond repair due to natural calamities, the permission for reconstruction is accorded as per Rule 16 of AMASR (Framing of heritage Bye-laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. Reconstruction of building or structure damaged due to natural calamity shall be permissible only to the extent it is damaged. The new structure or building as a replacement to the older building in case of reconstruction shall follow the same horizontal and vertical limits as per the pre-existing structure. The use of incongruous materials in the façade such as glazing, metal cladding, Aluminium Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), tiles, laminates will not be permissible. The new structure should be sympathetic and congruous with the heritage character of the Protected Monuments and its surrounding area.

6.13.3 New Construction:

6.13.3 A Prohibited Area:

As per Section 20A (4) of AMASR Act, 1958, as amended, no new construction including carrying out of any public work or project essential to the public or other construction, shall be permitted within the Prohibited Area of the Protected Monument.

6.13.3 B Regulated Area:

No land-use plan/ master plan/ zoning regulations have been prepared by the Local Authorities.

The height and other building-related parameters specified in this Heritage Bye-Law shall be applicable for all types of construction in the Regulated Area of the Protected Monuments.

1. **Height of the new construction on the site (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, HVAC unit, solar panel, rainwater harvesting system, penthouse, structures of terrace garden, etc.) or any other services on the roof:**

   i. The maximum height limit for new construction or additions/alteration to existing buildings shall not exceed **7.50 metres** (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, generator room, HVAC unit, solar panel, rainwater harvesting system, penthouse, structures of terrace garden, etc.) or any other services on the roof.

   ii. Construction of the basement should be discouraged.

2. **Usage:**

   i. Since no land use is specified for the area by the local authorities, therefore, the present land use may be retained as existing.

   ii. The historic buildings within the Royal Palace complex (Bansberia Rajbari) should retain their character, including their footprint and façade, as far as feasible. Any external additions to these historic structures, whether horizontal or vertical, should be discouraged.

   iii. The open and green spaces, water moats, ponds and water bodies should be retained as existing.

3. **Façade design:**

   i. The façade design of new construction should be minimalistic in nature, so that it does not overpower the Protected Monument.

   ii. The use of vernacular architecture with traditional building materials should be encouraged.

   iii. Use of intrusive materials such as Aluminium Composite Panel (ACP), High Pressure Laminates (HPL) and any other synthetic material for exterior finishes on the exterior façade should be discouraged.

   iv. Use of coloured glazed façade should be discouraged.

4. **Roof design:**

   i. Use of a traditional sloping roof system with terracotta roof tiles should be encouraged.

   ii. Erection of Structures, even of temporary nature, using materials such as aluminium, fibre glass, polycarbonate, or similar materials should be discouraged on the roof of the building.

   iii. All services such as large air conditioning units, rooftop water storage tanks or large generator sets placed on the roof to be screened off using screen walls (brick/cements sheets, louvers, jaalis or other such design elements). All of these services should be included in the maximum permissible height.

5. Building material:

i. Consistency in building materials and colour along all street façades of the Protected Monument should be maintained.

ii. Modern building materials such as aluminium cladding, glass bricks and any other synthetic tiles or materials should be discouraged for exterior finishes.

6. Color:

The exterior colour should be of a neutral tone in harmony with the Protected Monument such as buff sandstone colour, white, beige, and other earthy colours which do not create a harsh contrast with the Protected Monument and its immediate surroundings.

7. Other Regulations:

Proposals for the construction of large-scale public infrastructure projects such as Metro Rail Systems (underground or elevated), rail or road over bridges, flyovers, multi-level parking facilities, or similar development projects and construction of institutional buildings in the public interest or which are essential for public, shall be subject to a detailed Heritage Impact Assessment (HIA) report. Such projects may be considered only if it is clearly established that they will not cause any significant adverse impact on the preservation, safety, security, visual integrity, or accessibility of the Protected Monument or its immediate surroundings.

6.14 Visitor facilities and amenities:

Visitor facilities and amenities should be considered as far as feasible.

CHAPTER 7

Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations:

i. The water moat surrounding the Bansberia Rajbari complex is a defining feature integral to the setting of the Protected Monuments. To maintain the significance of this feature, efforts should be made to preserve the water moat to the greatest extent feasible. Construction activities adjacent to the water moat should be discouraged.

ii. Activities in the green and open spaces of the Bansberia Rajbari complex, such as agriculture, horticulture, and composting, should be encouraged and retained as far as feasible to preserve the Protected Monument's overall setting while ensuring ecological balance.

iii. The presence of historically and architecturally significant structures such as palaces, gates, and their remains/ruins indicates the extent of the Royal Precinct. To preserve the historic characteristics surrounding the Protected Monument, the local authority may undertake the listing and grading of these significant structures, as far as feasible.

iv. The existing industrial establishment (Ganges Jute Industry) should implement mitigation measures to minimize its impact on both the environment and the Protected Monument.

v. The widening of the existing roads, if done, should be in the direction away from the water moat surrounding the Bansberia Rajbari to ensure its preservation.

vi. Any measures taken by the Local bodies for safety and security of the general public at large in the flood-prone zone may be permitted.

vii. In the event of a cultural event taking place in the Prohibited and Regulated Areas, the local administration may consider implementing a well-structured crowd management plan to safeguard both public safety and the integrity of the Protected Monument as far as feasible.

viii. The ponds and water bodies within the Prohibited and Regulated areas of the Protected Monument should be preserved.

ix. LED or digital signs, plastic fibre glass, or any other highly reflective synthetic material should not be used for signages in the vicinity of the Protected Monument or its immediate surrounding areas.

x. No advertisements in the form of hoardings, bill boards and posters should be permitted near the Protected Monument, especially on the boundaries of the Protected Monument.

xi. Telephone exchange, mobile towers, electricity transmission towers, chimneys and overhead water tanks within the Regulated Area should be discouraged and sitting them beyond the Regulated Area may be considered.

xii. Use of Eco-Friendly vehicles for movement in the vicinity of the Protected Monument may be encouraged to mitigate adverse impacts on the Protected Monument due to vehicular emissions and vibrations.

xiii. Construction of green buildings including best practices like rainwater harvesting etc. should be encouraged.

7.2 Other Recommendations:

i. Whenever the Master Plan, Zonal Plan, or Development Plan is prepared or amended, it should clearly show all Protected Monuments of national importance and the Prohibited and Regulated.

ii. Provisions for differently-abled persons should be provided as per prescribed standards, as far as feasible.

iii. The area should be declared as Plastic and Polythene free zone.

iv. National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts may be referred at https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf

अनुलग्नक
ANNEXURES

अनुलग्नक-I
ANNEXURE-I

सर्वेक्षण भूखंड संख्या 1733, 1734 और सर्वेक्षण भूखंड संख्या 1732 और 1735 के भाग में सम्मिलित समीपवर्ती भूमि सहित हंसेश्वरी और वासुदेव मंदिर, बांसबेरिया, जिला - हुगली, पश्चिम बंगाल की सर्वेक्षण योजना

Survey Plan of Hamsesvari and Vasudeva temples together with adjacent land(comprise in survey plot Nos. 1733, 1734 and part of survey plot Nos. 1732 and 1735), Bansberia, District - Hooghly, West Bengal

अनुलग्नक-I (क)
ANNEXURE-I (a)

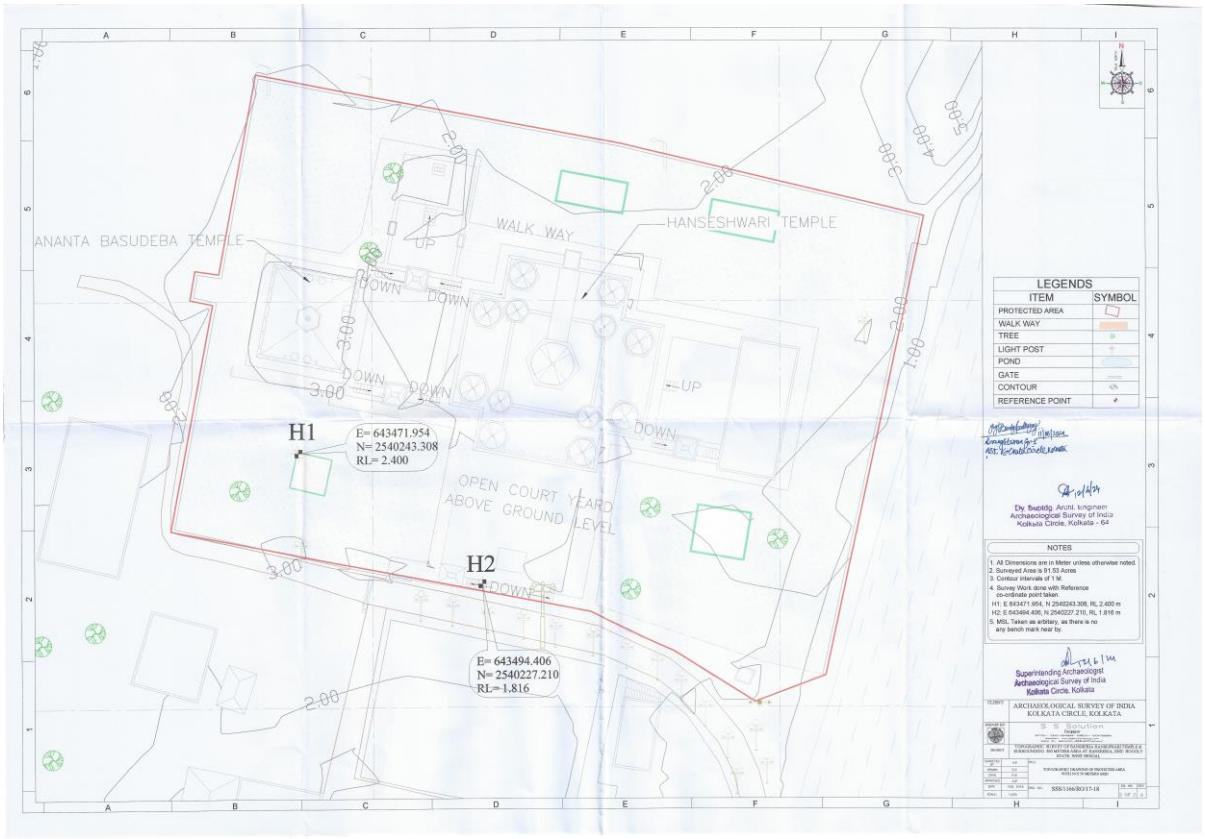

अनुलग्नक-II
ANNEXURE-II

संस्मारकों की अधिसूचना
Notification of the Monuments

मूल अधिसूचना
Original Notification

New Delhi, the 10th August 1964

S.O. 2857.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Education No. F. 4-9/64. C.1 dated the 28th April, 1964 published in Part II, section 3 sub-section (ii) of the Gazette of India dated the 9th May, 1964 the Central Government gave notice of its intention to declare the archaeological monument specified in the Schedule below to be of national importance.

And, whereas; no objections have been received to the making of such declaration.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby declares the said archaeological monument to be of national importance.

SCHEDULE

Sl. No.	State	District	Sub-Division	Locality	Name of monuments	Revenue plot number to be included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	West Bengal	Hooghly	Sadar	Bansberia	Hamsesvari and Vasudeva temples together with adjacent land comprised in survey plot Nos. 1733, 1734 and part of survey plot Nos. 1732 and 1735 as shown in the plan reproduced below.	Whole of Survey plot Nos. 1733 and 1734 and part of survey plot Nos. 1732 and 1735 as shown in the plan reproduced below	1 Bigha and 10 Cottahs.	*North:* Survey plot Nos. 180 and 181. *East:* Survey plot No. 179. *South* : Survey plot Nos. 1730 and 1737 and remaining portion of survey plot Nos. 1732 and 1735. *West* : Survey plot No. 181 and remaining portion of survey plot No. 1732.	Private	Hamsesvari temple is under religious use.

मूल अधिसूचना की टंकित प्रति
Typed copy of Original Notification

THE GAZETTE OF INDIA: AUGUST 22, 1964/ SRAVANA 31, 1886

New Delhi, the 10th August 1964

S.O. 2857.- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Education No. F. 4-9/64. C.I dated the 28th April, 1964 published in Part II, section 3 sub-section (ii) of the Gazette of India dated the 9th May, 1964 the Central Government gave notice of its intention to declare the archaeological monument specified in the Schedule below to be of national importance.

And, whereas; no objections have been received to the making of such declaration.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby declares the said archaeological monument to be of national importance.

Sl.no.	State	District	Sub Division	Locality	Name of Monuments
1	2	3	4	5	6
I.	West Bengal	Hooghly	Sadar	Bansberia	Hamsesvari and Vasudeva temples together with adjacent land comprised in survey plot No's 1733, 1734 and part of survey plot Nos. 1732 and 1735 as shown in the plan reproduced below.

Revenue plot number to be included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remark
7	8	9	10	11
Whole of Survey plot Nos. 1733 and 1734 and part of survey plot Nos. 1732 and 1735 as shown in the plan reproduced below	1 Bigha and 10 Cottahs	**North:** Survey plot Nos. 180 and 181. **East:** Survey plot No. 179. **South:** Survey plot Nos. 1730 and 1737 and remaining portion of survey plot no. 1732 and 1735. **West:** Survey plot Nos. 181 and remaining portion of survey plot No. 1732.	Private	Hamsesvari temple is under religious use.

अनुलग्नक-III
ANNEXURE-III

अभिलेखीय मानचित्र
Archival Map

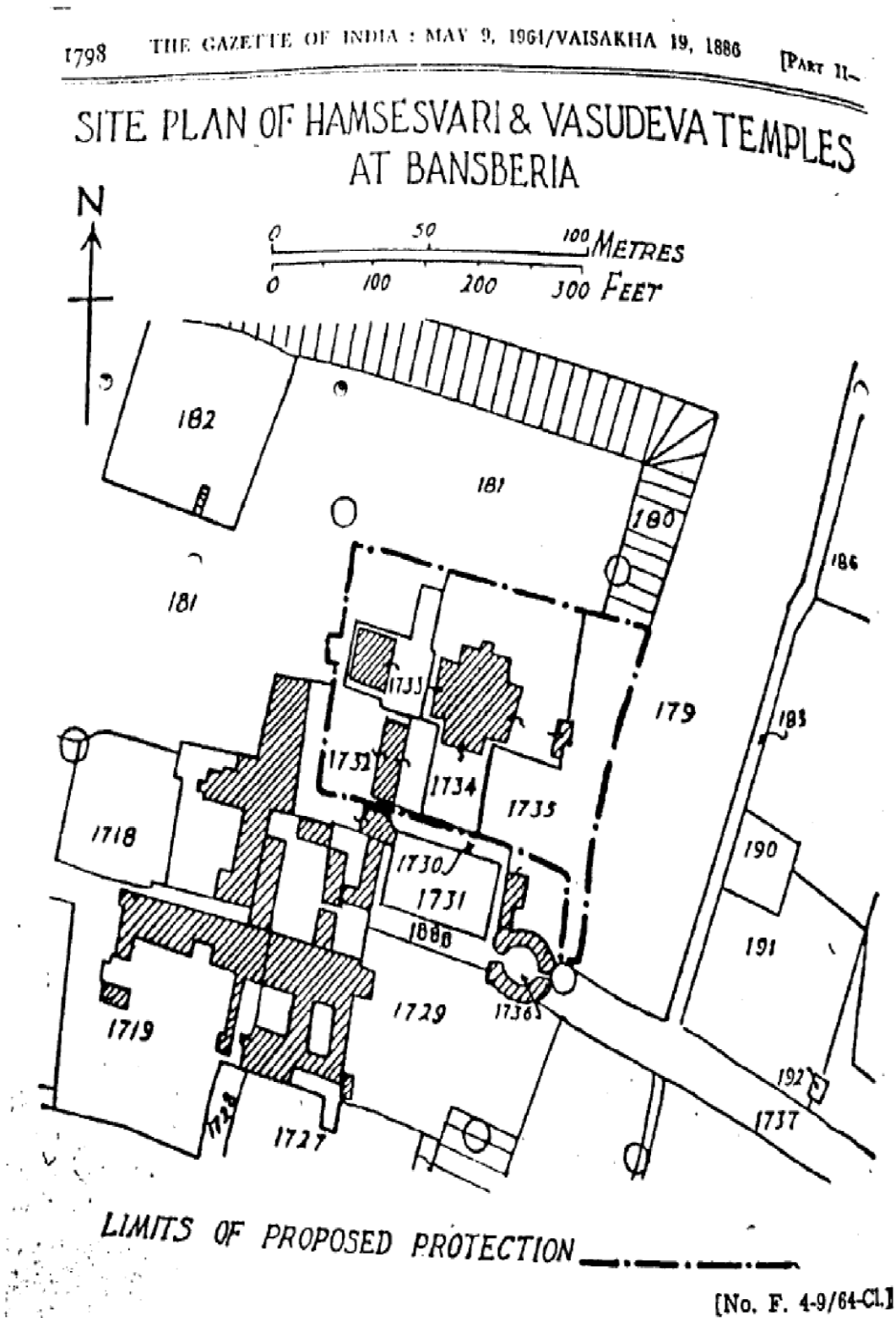

अनुलग्नक-IV
ANNEXURE-IV

संस्मारक और उसके आसपास के क्षेत्रों के चित्र
Images of the Monument and its surrounding areas

चित्र 1: वासुदेव मंदिर
Image 1: Vasudeva Temple

चित्र 2: हंसेश्वरी मंदिर
Image 2: Hamsesvari Temple

चित्र 3: बांसबेरिया राजबाड़ी में पुराना ऐतिहासिक द्वार
Image 3: Old Historic Gate in Bansberia Rajbari

चित्र 4: बांसबेरिया राजबाड़ी और खंडहर
Image 4: Bansberia Rajbari and ruins

चित्र 5: संरक्षित संस्मारकों से दिखाई देने वाली बांसबेरिया राजबाड़ी
Image 5: Bansberia Rajbari as visible from the Protected Monuments

चित्र 6: बांसबेरिया राजबाड़ी परिसर के चारों ओर पानी की खाई
Image 6: Water Moat surrounding the Bansberia Rajbari complex

चित्र 7 और 8: आसपास के क्षेत्रों की प्रमुख विशेषता

Image 7 & 8: The predominant character of surrounding areas

चित्र 9: संरक्षित संस्मारकों से उत्तर की ओर दिखाई देने वाला क्षितिज

Image 9: Skyline as visibility from the Protected Monuments to the North

चित्र 10: उत्तर की ओर एक फ्लाईओवर का निर्माण

Image 10: The construction of a flyover towards the North